

लोकविद्या पंचायत

- सूचना युग में बराबरी के विचार के पुनर्निर्माण का पत्र ●
- लोकविद्याधर समाज के पुनर्संगठन का वैचारिक आधार पत्र ●
- पूँजी आधारित समाज के स्थान पर ज्ञान आधारित समाज के निर्माण का विचार पत्र। ●

अंक 5, पृष्ठ : 8

फरवरी 2011

सहयोग राशि : 5 रुपये

वैश्विक आदिवासी किसान एकता

दुनिया भर के आदिवासी और किसान संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम को एक धोखा बताया है। जंगलों के काटने और जंगलों के सड़ने से प्रदूषण फैलाने वाली गैसों में वृद्धि होती है और इसे कम करने के नाम पर संयुक्त राष्ट्र 'जलवायु परिवर्तन' के नाम से एक कार्यक्रम चला रहा है, जिसका हाल ही में 7 दिसम्बर 2010 को कानकुन शहर में एक सम्मेलन हुआ। 'कम्पेसिना' नाम का किसानों का एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है और इसने 'आदिवासी और सामाजिक किसान मंच' के नाम से एक मंच बनाकर कानकुन में हो रहे राष्ट्रसंघ के 'जलवायु परिवर्तन' के कार्यक्रम का विरोध किया। मंच ने 7 दिसम्बर 2010 को कानकुन शहर में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला जिसमें हजारों की संख्या में किसान, आदिवासी और ग्रामीण भूमिहीन शामिल हुए।



कानकुन शहर में किसान और आदिवासियों का विशाल विरोध प्रदर्शन

“किसान धरती को ठंडा करते हैं” इस नारे के साथ लोगों ने जुलूस निकाला। जलवायु संकट को हल करने के लिये लोगों की ओर से प्रस्ताव बोलिविया देश के कोचाबाम्बा शहर में हुये 'धरती माँ' सम्मेलन में आ चुका है। जुलूस का आग्रह था कि इस प्रस्ताव को माना जाय। इसी प्रस्ताव का प्रतिबिम्ब “किसान धरती को ठंडा करते हैं” इस नारे में है। रंग-बिरंगे झण्डे, पोस्टर और नारों के साथ किसानों ने जियो-इंजीनियरिंग, कार्बन मार्केट, एग्रोफ्यूएल को लोगों पर थोपे जाने का विरोध किया।

इस जमावड़े के नेताओं का कहना था कि राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में कानकुन में जमा देश जलवायु के बारे में बात करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं, बल्कि धन्धे की बात कर रहे हैं, जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विस्तार के अवसर बनाती हैं। आदिवासी और किसानों की माँग यह थी कि कोचाबाम्बा ग्रामीण समझौता सामने रखा जाए और अमीर देश अपने यहाँ प्रदूषण करने वाली गैसों के उत्सर्जन की मात्रा को दस साल में आधा करें। उनका कहना था कि किसानों की कृषि धरती को ठण्डा करती है और अनाज व भोजन की प्राथमिकता के आधार पर नीतियाँ बनाकर सबको भोजन का अधिकार सुनिश्चित किया जा सकता है।

दस हजार की संख्या में किसानों और आदिवासियों के इस शांतिपूर्ण जुलूस का सामना करने के लिए जबरदस्त पुलिस बन्दोबस्त किया गया था।

इस जुलूस में निम्नलिखित नारे लगते रहे। इन नारों के लिखित पोस्टर भी थे।

“हमारी धरती माँ को और अधिक कष्ट न दें।”

“पृथ्वी का और अधिक विनाश बन्द करें।”

“हमें हमारे क्षेत्रों से खदेड़ना बन्द करें।”

“धरती माँ के बच्चों को मौत के मुँह में ढकेलना बन्द करें।”

“हमारे संघर्षों का अपराधीकरण बन्द करें।”

“कोपेनहागेन समझौते को नकार दें। कोचाबाम्बा के विचार को स्वीकार करें।”

“धरती नहीं बेची जा सकती, इसे सुरक्षित और पुनर्जीवित करें।”

“किसान धरती को ठण्डा रखते हैं।”

“संघर्षों को विश्वव्यापी बनायें, उम्मीदों को विश्वव्यापी बनायें”

जुलूस के बाद एक बड़ी बैठक की गई जिसमें यह कहा गया कि 37 देशों में कम्पेसिना के आवाहन पर प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों का बुनियादी विचार 'हजारों रास्तों' का विचार है।

कम्पेसिना (यानि 'किसानों का रास्ता') संगठन 1993 में यूरोप और दक्षिण अमेरिका के किसान संगठनों ने बनाया। 69 देशों में फैले हुए इस संगठन का विस्तार एशिया और अफ्रिका में भी है। **भारतीय किसान यूनियन भी वाया कम्पेसिना में शामिल है।** कई जगह के आदिवासी संगठन भी इसमें शामिल हैं।

वाया कम्पेसिना क्या है?

आधार : वाया कम्पेसिना नाम का किसानों का एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। यह किसानों, भूमिहीनों, ग्रामीण महिलाओं, आदिवासियों, गाँव के नौजवानों और खेतिहर मजदूरों का स्वायत्त, अनेकतावादी व विविध संस्कृतियों का समर्थक एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन है जो किसी भी राजनीतिक, आर्थिक या अन्य सम्बद्धता से स्वतन्त्र है।

जन्म व विकास : इस संगठन का पहला अधिवेशन मई 1993 में बेल्लियम में हुआ था, जहाँ इसकी नियमावली, संगठन का ढाँचा इत्यादि बनाया गया। दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय अधिवेशन 1996 में मैक्सिको में हुआ और तीसरा अधिवेशन 2000 में भारत के बंगलूरु शहर में और चौथा 2004 में ब्राजील में हुआ। पाँचवाँ अधिवेशन मोजाम्बिक (अफ्रिका) में 2008 में हुआ।

उद्देश्य : यह किसान संगठनों के बीच एकता के मार्फत काम करता है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं, आर्थिक सम्बन्धों में सामाजिक न्याय व स्त्री-पुरुष संतुलन, भूमि-जल, बीज व प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, भोजन प्रभुसत्ता, टिकाऊ कृषि उत्पादन, जो सब छोटे व मध्यम किसान उत्पादकों में आधारित हों।

विचार :

1. किसान अपने लम्बे अनुभव, स्थानीय संसाधनों तथा स्थानीय संस्कृति और परम्पराओं के अन्तर्गत खेती करते हैं। किसान समुचित आवश्यक मात्रा व गुणवत्ता का भोजन देने की क्षमता रखते हैं। उनका यह उत्पादन प्रमुख रूप से स्थानीय बाजार और पारिवारिक इस्तेमाल के लिए होना है।
2. किसी भी देश, क्षेत्र या समुदाय का कृषि उत्पादन विदेशों में फेंके बगैर, अपनी कृषि व भोजन नीति तय करने के अधिकार ही 'भोजन प्रभुसत्ता' है। 'भोजन प्रभुसत्ता' का अर्थ है स्थानीय समुदायों की जरूरतों और स्थानीय इस्तेमाल की प्राथमिकताओं पर भोजन का उत्पादन और इस्तेमाल संगठित करना। बाहरी देशों से सस्ते दामों पर कृषि उत्पादन के आयात से घरेलू बाजार को बचाना तथा राष्ट्रीय कृषि व पशु सम्पदा के उत्पादन का नियमन व सुरक्षा का अधिकार 'भोजन प्रभुसत्ता' में सम्मिलित है। भूमिहीनों और किसानों को जमीन, पानी, बीज व अन्य उत्पादक संसाधन तथा जरूरत की सार्वजनिक सेवाएँ उपलब्ध होनी चाहिये। भोजन प्रभुसत्ता और टिकाऊपन को व्यापार नीतियों की तुलना में वरीयता मिलना चाहिये।
3. अभी का कृषि व्यापार औद्योगिकृत है और बड़े बाजार और बड़ी पूँजी ही सारी कृषि गतिविधियाँ तय करते हैं, जिससे काम करने वालों का शोषण होता है और सत्ता का आर्थिक व राजनैतिक केन्द्रीयकरण होता है। वाया कम्पेसिना उत्पादन, प्रसंस्करण, बँटवारे और इस्तेमाल के ऐसे विकेन्द्रित ढाँचे का पक्षधर है, जिसका नियंत्रण लोगों और समुदायों के हाथ में हो, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ नहीं।

बुनकरों का दिल्ली में धरना

आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लगभग 500 बुनकरों ने मिलकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर 30 नवम्बर को धरना दिया। पिछले आठ महीनों में सिल्क और कपास के धागों की कीमत तेजी से बढ़ी। सिल्क धागे में यह बढ़ोतरी लगभग एक सौ दस फीसदी और सूती धागे में लगभग पचास फीसदी है। बुनकर बेहाल हैं। धागों की ऊँची कीमत के चलते कई बुनकर बेरोजगार होकर कृषि मजदूर तथा ईट-गारा मजदूर बन गये हैं।

धरने के दौरान बुनकरों ने निम्नलिखित माँगें रखी हैं—

1. रेशम और सूती धागों की कीमत तुरन्त कम की जाये और चीन से रेशम के आयात को नियमित किया जाय तथा बुनकर को सीधे उपलब्ध कराने की व्यवस्थाओं को बनाया जाय।
2. हथकरघे के लिये आवंटित राशि लगातार घटाई जा रही है। पूरे कपड़ा क्षेत्र के लिये आवंटित राशि का केवल 6फीसदी अब



हथकरघा क्षेत्र को मिलता है। इसे बढ़ाकर 25फीसदी किया जाय जैसा कि 1990 के दशक में था।

3. हथकरघा बुनकरों के कर्ज तुरंत माफ किये जायें। बुनकरों ने जो कर्ज पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाती के नाम से अल्पसंख्यक वित्त निगमों से लिये हैं उन्हें भी माफ किया जाये।
4. भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के लिये तीन हजार करोड़ रुपये का फण्ड आवंटित करे।
5. हथकरघा बुनकरों के लिये सरकार स्वावलम्बन योजना क्रियान्वित करे।
6. सरकार धागे की कीमत को जायज रखने के लिये अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 लागू करे।
7. अगले वित्तीय वर्ष के बजट से सरकार घरेलू उद्योग व बचत योजना को पुनः लागू करे।
8. धागा सलाहकार समिति बनाई जाय और उसमें बुनकरों के प्रतिनिधि शामिल किये जायें।
9. नील्सन एण्ड कम्पनी द्वारा 2009-10 में की गई हथकरघा गणना सार्वजनिक की जाये।

बिनायक सेन पर देशद्रोह का आरोप-लोकतंत्र की अवमानना- JUCS

न्यायपालिका ध्वस्त कर रही है लोकतांत्रिक ढाँचा-JUCS
पीपुल्स यूनिन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिनायक सेन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर न्यायपालिका ने अपने गैरलोकतान्त्रिक और फासीवादी चेहरे को एक बार फिर उजागर किया है। जर्नलिस्ट यूनिन फॉर सिविल सोसाइटी (JUCS) मानती है कि बिनायक सेन प्रकरण के इस फैसले ने अन्ततः लोकतान्त्रिक ढाँचे को ध्वस्त करने का काम किया है। यह न्यायपालिका की संस्थानिक जनविरोधी तानाशाही है, जिसका हम विरोध करते हैं। जो काम सत्ता के सहारे पूँजीवादी ताकतें कार्यपालिका और

व्यवस्थापिका से कराती थीं उसे अब न्यायपालिका कर रही है। पिछले दिनों विकीलीक्स ने हमारी पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी कि वह किस तरह देश की महत्वपूर्ण जानकारियों को अमेरिका जैसे देशों से चोरी-छिपे बताती है, और उसके दबाव में जनविरोधी नीतियों को लागू करती है। पिछले साल नक्सलवाद उन्मूलन के नाम पर चलाया गया आपरेशन ग्रीन हंट भी इसी का हिस्सा था। पिछले दिनों राष्ट्र मंडल खेलों से लेकर 2जी स्पेक्ट्रम जैसे बड़े घोटाले क्या देशद्रोह नहीं थे जो उनसे जुड़े सफेदपोशों को बचाने की हर सम्भव मदद सरकार कर रही है।

बिनायक सेन को आजीवन कारावास देकर न्यायालय ने वंचित तबके के प्रतिरोध को खामोश रहने की चेतावनी दी है, जो अब तक न्याय के अंतिम विकल्प के रूप में न्यायपालिका में उम्मीद लगाये था। हिन्दुस्तान में न्यायालयों द्वारा पिछले दिनों जिस तरह से संविधान प्रदत्त धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्य जिनके तहत आदमी और आदमी के बीच धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसीतरह का भेदभाव न करने का आश्वासन दिया गया था, को खंडित किया जा रहा है, यह पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को फासीवादी व्यवस्था में तब्दील करने की साजिश है।

बिजली, विस्थापन और देश का भविष्य

(सिंगरौली यात्राओं के दौरान हुई बहसों और विद्या आश्रम के सहयोगियों के साथ हुई वार्ताओं के आधार पर)

वाराणसी से लगभग 200 किमी. दक्षिण जहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरहदें मिलती हैं वही पहाड़ों और जंगलों के इलाके में परियोजनाओं की बाढ़ आ गई है। बिरला, अम्बानी, जे.पी., एस्सार, दैनिक भास्कर और एन.टी.पी.सी. बड़ी-बड़ी परियोजनायें लेकर यहाँ दाखिल हो गये हैं। ज्यादातर परियोजनायें कोयले पर आधारित बिजली बनाने की हैं। एल्यूमिनियम, सीमेन्ट व अन्य धातुओं के कारखाने भी लगने हैं। दो-तीन साल में इस पूरे क्षेत्र में 25 से 30 हजार मेगावाट बिजली पैदा होने लगेगी, इसकी सम्भावना है। अभी एन.टी.पी.सी., उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लॅन्को, बिडला, आदि मिलकर लगभग 10 हजार मेगावाट बिजली बनाते हैं। इतनी बिजली के लिये बहुत बड़ी मात्रा में कोयला और पानी की जरूरत होती है तथा बहुत बड़े पैमाने पर निकलने वाली राख विनाशकारी न बने इसका भी इंतजाम करना पड़ता है।

दस हजार मेगावाट बिजली बनाने के लिये अभी करीब 1000 वर्ग किलोमीटर का दायरा कोयले की खदानों, पानी के फैलाव, राख के निस्तारण, धूप उगलते कारखानों, नौकरी करने वालों की कालोनियों, ठेके के मजदूरों की बस्तियों और नये बाजारों से पट जाता है। इस पूरे इलाके और आसपास के किसान, आदिवासी व निवासी अपनी जिन्दगी, उसके संसाधनों, घर-द्वार, जमीन, पेशा, छोटे-मोटे धन्धों सभी से हाथ धो बैठते हैं। जंगल कट जाते हैं, पानी के बहाव अवरूद्ध हो जाते हैं, जमीन के नीचे का पानी गायब हो जाता है और पूरा क्षेत्र एक पर्यावरणीय एवं सामाजिक महासंकट से ग्रस्त हो जाता है। जब ये नई परियोजनायें पूरी हो जायेंगी तो अभी से करीब ढाई-गुना बिजली पैदा होगी और नतीजे स्वरूप लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इस महासंकट से ग्रस्त हो जायेगा। इन परियोजनाओं के लिये 2008 की गर्मियों में मध्यप्रदेश के सीधी जिले से काटकर सिंगरौली को एक जिला बना दिया गया जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और छत्तीसगढ़ के सरगुजा से सटा हुआ है। यहाँ की लगभग आधी आबादी आदिवासियों की है और 30 फीसदी से अधिक अन्य क्षेत्रों से लम्बे दौर में आकर बसे किसानों की है। ये आदिवासी और किसान अपनी जिन्दगी के लिये और अपने क्षेत्र के लिये आज एक बहुत बड़े संघर्ष में उतरे हुए हैं। चूँकि बड़े पूँजीपति, प्रशासन, ठेकेदार और राजनीतिक पार्टियाँ सभी क्षेत्रीय लोगों और उनकी सम्पदा की लूट में एक हो गये हैं, इन आदिवासी व किसानों की लड़ाईयों स्थानीय व स्वयंस्फूर्त नेतृत्व की अगुवाई में चल रही है। राष्ट्रीय मीडिया इन्हें रिपोर्ट नहीं करता और आम लोगों को कोई जानकारी ही नहीं मिलती।

निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत वस्तुस्थिति को समझा जा सकता है :-

- (1) आदिवासी और किसान जनता को बड़े पैमाने पर उनकी जमीन और घर से बेदखल किया जा रहा है।
- (2) बेहद कम मुआवजा दिया जा रहा है। एक एकड़ के लिए लगभग 1 लाख।
- (3) पुशतों से एक स्थान पर रह रहे और खेती कर रहे आदिवासियों के घरों पर बिना किसी मुआवजे के यह कहकर बुल्डोजर चला

दिये गये कि वे सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किये हुए थे।
(4) जो मुआवजा लेने को मना करते हैं उन्हें गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है, गिरफ्तार भी किया जाता है और आधा-अधूरा पैसा देकर जबरदस्ती कागजों पर दस्तखत लिये जाते हैं। और यह काम आधी रात में भी थानों और प्रशासनिक दफ्तरों में किया गया है।

(5) कलक्टर के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासन, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्यसत्ता और बड़े पूँजीपति घराने ऐसे मिल-जुलकर काम कर रहे हैं कि उनमें कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता।

(6) परियोजनाओं के मजदूर बिहार, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के नौजवान हैं, जिनके रहने और काम करने की परिस्थितियों को देखकर गिरमिटिया मजदूर के वर्णन याद आ जाते हैं।

(7) जंगल कट रहे हैं, भूगर्भ जल सूख रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है, हवा का प्रदूषण अभी से बहुत बढ़ा हुआ है, पुराने बाजार उजड़ रहे हैं, स्थानीय लोग हताश हैं।

जुलाई 2010 से विद्या आश्रम और सृजन लोकहित समिति, सिंगरौली के कार्यकर्ताओं ने सिंगरौली और आस-पास के क्षेत्रों में व्यापक जन-सम्पर्क किया। बैढ़न, बरगवाँ, सिद्धीखुर्द, सिंगरौली बाजार, बलियारी, बीना, डिबुलगाँज, गरबंथा, सरई और निगरी के दौरे विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन जगहों पर किसानों, आदिवासी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें आयोजित की गईं जिनमें उस क्षेत्र और वहाँ के लोगों का दर्द खुलकर सामने आया। विद्या आश्रम से दिलीप, कृष्ण कुमार, चित्रा व सुनील और सृजन लोकहित समिति से अवधेश, विनोद, राम सुभग शुक्ला, नौजवान सभा के संजय नामदेव, समाजवादी पार्टी के हरिश्चन्द्र सोनी, हिन्दू मजदूर सभा के अशोक पाण्डेय, अनपरा बिजली यूनियन के श्याम किशोर जायसवाल, भा.कि.यू. के लक्ष्मीचंद्र दुबे, उध्वासित किसान-मजदूर परिषद के राम प्रताप मिश्र, सरई गाँव के बुधिराज गोंड़, कालिका प्रसाद व रोहित गुप्ता (पत्रकार), बरगवाँ के जिला पंचायत सदस्य डा. बैसवार ने मिलकर पूरे क्षेत्र के समय-समय पर दौरे किये, वार्तायें की व जगह-जगह बैठकें कीं। विभिन्न सांगठनिक दृष्टिकोणों के समागम से एक संतुलित दृष्टि बनाने का मौका मिला। इस दृष्टि के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं :-

- (1) मुआवजा मिले, पुनर्वास हो और परिवार के एक व्यक्ति को परियोजना में काम मिले इन माँगों के संघर्षों का दम निकल गया मालूम पड़ता है। स्थानीय लोगों और उनके समर्थकों को इस लड़ाई में अजीब कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सिंगरौली पर नजर रखते हुये जब हम पूरे राष्ट्र में हो रहे विस्थापन पर दृष्टि डालते हैं तो दिखाई देता है कि इन मुद्दों को सरकारी प्रशासन और बड़े पूँजीपति मनमाने ढंग से तोड़ते-मरोड़ते रहते हैं। लोगों की दृष्टि में ऐसी स्थिति में बुनियादी मुद्दे क्या हैं इसे सफाई से समझने की जरूरत है। विस्तृत बातचीत से यह उभरकर आता है कि लोग जमीन के एवज में पैसे लेने के लिये तभी तैयार होते हैं, जब उन्हें जमीन बचाने के कोई रास्ते नहीं दिखाई देते। कृषि

लाभप्रद नहीं है और उसके बल पर परिवार ठीक से नहीं चलाये जा सकते। इसलिए लोग जमीन के एवज में पैसे लेकर उन पैसे से कुछ और काम करना चाहते हैं। यह एक बहुत बड़ा झूठ है, जिसका प्रचार प्रशासनिक, राजनैतिक और बुद्धिजीवी महकमों के लोग करते रहते हैं। जमीन तो आदिवासी व किसान एकदम मजबूर हो जाने के बाद ही छोड़ते हैं।

(2) बड़ी-बड़ी परियोजनाओं द्वारा सैकड़ों एकड़ जमीन पर काबिज होना, इससे केवल उन जमीनों के विस्थापित ही पीड़ित नहीं होते बल्कि उस क्षेत्र के सभी लोगों की जिन्दगी एक महासंकट के दौर में प्रवेश कर जाती है। आस-पास के किसान, दस्तकार, कारीगर, आदिवासी, वनों का इस्तेमाल करने वाले, छोटे-छोटे दुकानदार, मजदूर सभी की जिन्दगी की धूरी हिल जाती है। बाजार के मूल्य व नियमन के तरीके बदल जाते हैं। नये खरीददार और नये सामान और नई दुकानें आ जाती हैं, जिनका पहले के छोटे दुकानदारों, किसानों, आदिवासियों और पारम्परिक उद्योगों के कार्यकर्ताओं की कमाई पर उल्टा असर पड़ता है। इन सबके भी नुकसान की भरपाई जरूरी है। सारी बात को केवल प्रकट विस्थापितों तक सीमित करना यह तो पूरे क्षेत्र के साथ धोखा है। हर बदलाव में जिन पर उल्टा असर पड़ रहा है, उनकी पूरी पहचान करना जरूरी है और उन सभी के लिए नई व्यवस्था बननी चाहिये। किसान और आदिवासी स्थानीय संसाधनों से एक से एक बढ़िया काम करना जानते हैं। उचित तो केवल एक ही बात है कि संसाधन और उनके उत्पादन के लिए स्थानीय बाजार उन्हें उपलब्ध होना चाहिये। ऐसा हो, यह किसी भी नई परियोजना और उसे लाने वाली सरकार की जिम्मेदारी है। मूल बात यह है कि विस्थापन पूरे क्षेत्र का सवाल होता है, न कि केवल विस्थापितों का।

(3) अपने ज्ञान के आधार पर आर्थिक गतिविधि का अधिकार जनता के मूलभूत अधिकारों में एक संवैधानिक अधिकार के रूप में शामिल होना चाहिये। इसका मतलब है कि वह सब विस्थापन गैर कानूनी होना चाहिये जो लोगों के अपने ज्ञान यानि लोकविद्या के आधार पर की जाने वाली गतिविधियों को तोड़ व बिखेर देता है। किसान और आदिवासी परिवारों के ही बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं या जल्दी स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। यही इस देश की और दुनिया की वह बहुमत जनता है जो लोकविद्या के बल पर अपना गुजर-बसर करती है और इन्हीं के शोषण के बल पर महानगरों की चमकीली दुनिया बनती है। किसी भी सरकार की यह जिम्मेदारी होनी चाहिये कि लोकविद्या के बल पर होने वाली आर्थिक गतिविधियों के लिये बुनियादी भौतिक ढाँचा और बाजार उपलब्ध कराये। बड़ी परियोजनाओं के प्रवेश के स्थान पर किसानों और आदिवासियों की यह जरूरत मुँह खोलकर खड़ी दिखाई देती है।

... शेष पृष्ठ 8 पर

लोकविद्या किसान-आदिवासी आश्रम

सिंगरौली के किसान और आदिवासी अब एक बार फिर नये सिरे से उजाड़े जा रहे हैं। सिंगरौली का अलग जिला बनना और बिजली बनाने के तथा और कई तरह के बड़े-बड़े कारखाने बनने से यहाँ के आदिवासी और किसानों पर तीन बहुत बड़े संकट छा गये।

1. जीवन-यापन के संसाधनों जैसे—जमीन, जंगल, पानी का छीना जाना जिसमें बेघर किया जाना शामिल है।
2. प्रशासनिक अफसरों, पूँजीपतियों, ठेकेदारों और बड़े-बड़े संस्थानों के पेशेवर अफसरों और कर्मचारियों की लम्बी-चौड़ी जमातों द्वारा तिरस्कार की जिन्दगी का थोपा जाना।
3. जिस लोकविद्या के बल पर आदिवासी और किसान अपना सामाजिक और आर्थिक जीवन बनाते और सँवारते हैं उस लोकविद्या के आधारों पर गहरा आघात होना।

लोकविद्या यह आदिवासियों और किसानों के लिये सब कुछ है। इसी में उनकी बुनियादी ताकत है और इसी के बल पर वे अपने को और अपने समाज को जिन्दा रखते हैं। उनकी रोजी-रोटी के सवाल तथा उनके आत्म-सम्मान के सवाल, उनकी विद्या यानि लोकविद्या की प्रतिष्ठा के साथ जुड़े हुये हैं। जब तक विश्वविद्यालय के ज्ञान की तुलना में उनका ज्ञान छोटे और निचले दर्जे का समझा जायेगा तब तक वे एक निचले दर्जे के नागरिक बने रहेंगे और शासन-प्रशासन और पूँजीपति मनमाने ढंग से उनके संसाधन छीनते रहेंगे और उनकी बेइज्जती भी करते रहेंगे, उनपर कानूनी और गैर-कानूनी ढंग से ज्यादाियाँ करते रहेंगे, उनका शोषण करते रहेंगे।

लोकविद्या किसान-आदिवासी आश्रम इस स्थिति से मुकाबला करने के दर्शन का स्थान है। यहाँ से अपने संसाधनों पर वापस नियंत्रण हासिल करने, अपनी विद्या की प्रतिष्ठा व आत्म-सम्मान के अभियान चलाये जायेंगे और कार्यक्रम बनाये जायेंगे। यहाँ से किसानों और आदिवासियों को उनके अपने ज्ञान और दर्शन की ताकत का एहसास कराया जायेगा।

—विद्या आश्रम और सृजन लोकहित समिति

सिंगरौली का विकास : विनाश है

सिंगरौली श्रृंगि ऋषि की तपोभूमि रही है। सिंगरौली जिले में दो प्रमुख नदियाँ हैं 'रेणु' नदी एवं 'गोपद' नदी। रेणु नदी पर ही पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पिंपरी, जिला सोनभद्र (उ. प्र.), में विशालतम बाँध की शुरुआत हुई थी। पूर्व-प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने उद्घाटन किया था। रिहन्द बाँध बनने से सोनभद्र, में रेणु सागर पावर प्लाण्ट, अनपरा पावर प्लाण्ट, रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, विन्ध्याचल सुपर पावर प्रोजेक्ट, विद्युत उत्पादन कर रही हैं। अब एस्सार पावर प्रोजेक्ट, सासन पावर प्रोजेक्ट, सैनिक पावर प्रोजेक्ट, जे. पी. पावर प्रोजेक्ट, चितरंगी पावर प्रोजेक्ट, महान पावर एवं एल्यूमीनियम प्रोजेक्ट, जे. पी. मिनरल्स प्रोजेक्ट, त्रिमुला आयरन इण्डस्ट्रीज आदि निर्माणाधीन हैं। उद्योग जगत में देखने पर सिंगरौली में विकास की आँधी चल रही है। सिंगरौली का जिला मुख्यालय बैढ़न में है, रेलवे स्टेशन भी है, कोल इण्डिया द्वारा संचालित कोयला खदानें कार्यरत हैं। सिंगरौली में देश-विदेश के नागरिक कार्यरत हैं। सिंगरौली जिले में कोयला से लेकर सोना, ताँबा, अभ्रक, ग्रेफाइट एवं अन्य खनिज सम्पदा भरी हुई है। सिंगरौली वन-सम्पदा से समृद्ध है, यहाँ के जंगलों में बहुमूल्य जड़ी-बूटी पायी जाती है। सिंगरौली जिले में अधिकांशतः आदिवासी और हरिजन आबादी है। जिले के लोग सीधे-सादे, सरल एवं मिलनसार प्रवृत्ति के हैं तथा अधिकांश आज भी अनपढ़ हैं। अधिकांश आबादी को आज भी शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना कार्यक्रम में सिंगरौली जिले में अक्वल दर्जे का भ्रष्टाचार व्याप्त है। यहाँ पर अनेक उद्योग लगने के बाद भी यहाँ के शिक्षित युवा बेरोजगार हैं एवं मजदूरी की तलाश में आज भी व्यापक पैमाने पर काम के लिए दूसरे राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश में पलायन कर रहे हैं। आदिवासी व हरिजन अधिकांशतः पुस्त-दर-पुस्त सैकड़ों वर्षों से शासकीय जमीन को खेती के लायक बनाकर वहीं घर बनाकर जीवन-यापन कर रहे हैं। उन्हें आज भी वन एवं राजस्व विभाग द्वारा जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया। इसके विपरीत उनसे समय-बेसमय जुर्माना राशि वसूली जाती रही है। इतना ही नहीं प्रशासन जब चाहे तब उन्हें उनकी जमीन से बेदखल भी करता रहा है।

सिंगरौली जिले में रहने वाले लोग विस्थापन की समस्या से त्रस्त हैं। आज ऐसे परिवार भी हैं जिन्हें पाँच बार विस्थापन की मार झेलनी

पड़ी है। पूर्व में विस्थापित हुए लोगों को आज भी विस्थापन की सुविधा से वंचित रखा गया है। वर्तमान में सिंगरौली में लग रही परियोजना के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन का मुआवजा राशि सिंचित 1,40,000/- रुपये एवं असिंचित जमीन का मुआवजा 96,000/- रुपये प्रति एकड़ से दिया जा रहा है एवं सैकड़ों वर्षों से घर एवं खेत बनाकर शासकीय भूमि पर काबिज रहे लोगों को जमीन का मुआवजा वितरित नहीं किया जा रहा है। विस्थापित परिवार को रहने के लिये जो मकान बनाकर दिया जा रहा है वो किसी भी समय धराशायी हो सकता है। विस्थापितों को रोजगार भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जो किसान अपनी जमीन का उचित मुआवजा एवं सुविधा की माँग करता है उसे शासन-प्रशासन द्वारा फर्जी रूप से गम्भीर अपराध में फँसाकर झूठी रिपोर्ट दर्ज करके जेल में भेजने की कार्यवाही की जाती है। यही नहीं रासुका के तहत जिला बदर की कार्यवाही भी की जाती है, जिसकी मिसाल एस्सार पावर प्रोजेक्ट, महान पावर एल्यूमीनियम प्रोजेक्ट में देखा जा सकता है। हरिजन, आदिवासी, गरीब मजदूर अगर हक लेने की बात करता है तो शासन-प्रशासन उसे नक्सलाइट घोषित करने में लग जाता है। वैसे भी सिंगरौली प्रशासन की निगाह में नक्सलाइट क्षेत्र है जबकि सम्पूर्ण जिला अन्याय, अत्याचार, शोषण एवं सरकारी दमनकारी नीति से त्रस्त है। यहाँ के निवासी न्याय के लिये दर-दर भटक रहे हैं। शासन, प्रशासन एवं जनता के प्रतिनिधि मूकदर्शक बने हुए हैं। शासन-प्रशासन में बैठे लोग अगर जनता के प्रति उदारवादी, न्यायप्रिय तरीके अपनायेंगे तो क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे आक्रोश को खत्म किया जा सकता है। हरिजन, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग समाज अपने कार्य-कौशल एवं हुनर-परिश्रम से देश को विकास की मंजिल तक पहुँचाने में सक्षम है। यदि वहाँ के लोगों को कार्य करने का अवसर मिले, साफ-सुथरे तरीके से उनको रोजगार मिले तो सिंगरौली का विकास देश में नजीर बन सकता है। यह समाज देश एवं समाज को चलाने के लिये हर समय अग्रसर रहेगा, सिंगरौली का हर तरफ से विकास करेगा, सिंगरौली का चरित्र भारत के नक्शेकदम पर रहेगा।

— हरिश्चन्द्र सोनी

जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, सिंगरौली

सिंगरौली पर अवधेश कुमार के विचार

[1960 के दशक में 'अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन' ने जिन किशोरों को हमेशा के लिये समाजवादी बना दिया उनमें से एक अवधेश कुमार हैं। 1980 के दशक के शुरू में सुपर ताप बिजलीघरों के बनने के साथ सिंगरौली जब महाविस्थापन के दौर से गुजर रहा था तभी आपने वहाँ जाकर 'सृजन लोकहित समिति' बनाई और मानवता के इस शोषण और संकट से मुकाबला करना शुरू किया। आज जब सिंगरौली निजी कम्पनियों के विस्तार के चलते एक बार फिर महाविस्थापन के चंगुल में है, अवधेश कुमार ने आदिवासियों और किसानों के बीच उनके अपने ज्ञान, लोकविद्या, की ताकत पर संगठित होने के रास्ते खोजना शुरू किया है। विद्या आश्रम के दिलीप कुमार से हुई वार्ता के अंश यहाँ दिये जा रहे हैं। -संपादक]

प्रश्न : आप सामाजिक विचार और जन आन्दोलनों में कब आये?

उत्तर : हाईस्कूल और इण्टर के समय में, 1969 में अंग्रेजी विरोधी आन्दोलन चल रहा था। उस समय इस आन्दोलन के मुद्दे थे कि अंग्रेजी के कारण लोग अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। मुझे हायर सेकेण्ड्री स्कूल में ही लगा कि अंग्रेजी बड़े लोगों की भाषा है। रौब झाड़ने के लिये है, दूसरों को हीन समझने के लिये इसका इस्तेमाल होता है। इसमें अवगुण है। यह विकास में बाधक है। हमें लगा कि अंग्रेजी सिर्फ विदेशी भाषा ही नहीं, यह शोषण की भाषा है। गरीब लोगों के खून चूसने में इसका इस्तेमाल होता है और 'अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन' में हम कूद गये। अंग्रेजी पोस्टर को कालिख पोतना, हायर सेकेण्ड्री कक्षा तक अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की जाय, अंग्रेजी में फेल को फेल न माना जाय, अनिवार्य भाषा के रूप में इसे हटाया जाय। अंग्रेजी के खिलाफ का आन्दोलन ही हमें इस राजनीति में कूदने का निमित्त या प्रेरणा बना। हमारे अनुभव में अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन को गरीब आदमी, आम आदमी ने अपना आन्दोलन समझा और इसमें बड़ी हिस्सेदारी भी निभाई। इतनी बड़ी उपलब्धि का बुनियादी आन्दोलन अभी तक न हुआ। उतना ही बड़ा आन्दोलन जेपी का भी हुआ।

प्रश्न : सिंगरौली से जुड़ाव कैसे बना ?

उत्तर : 1983 में हम लोकायन (दिल्ली) से जुड़े थे। तभी समता युवजन सभा में भागीदारी हुई और रिहन्द से उजड़े हुए लोगों के बीच जाने का कार्यक्रम बना। 5-6 दिन घूमकर उन क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को देखकर आश्चर्य यह हुआ कि पंडित नेहरू ने जिस बाँध को आधुनिक तीर्थ कहा उसके चलते स्थानीय गरीब लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गये! ये देखा गया कि इनके घर में ढंग से एक जून का खाना भी नहीं मिल पाता है। न ढंग के बर्तन है और न ही ओढ़ना-बछौना है। तो हम लोगों ने यह निश्चय किया कि रिहन्द के विकास का यह हुलिया दिल्ली में पत्रकारों के माध्यम से सबके सामने लाया जाये। वहाँ से चलने के बाद पता चला कि इससे भी बड़ा पावर हाउस विन्ध्यनगर में बनने जा रहा है। इसमें वही लोग फिर उजड़ने जा रहे हैं, जो रिहन्द से उजड़ने के बाद यहाँ बसे थे। इसमें ज्यादातर लोग गरीब परिवार से ही हैं। तह में जाने पर पता चला कि यहाँ तो विस्थापन का एक सिलसिला 1959-60 से लगातार चला ही आ रहा है। यहाँ रिहन्द बाँध से पूर्व पावर परियोजना, कोल माइन्स, सड़क, खम्भे इत्यादि को लेकर लोग लगातार उजड़ते ही चले जा रहे हैं। विन्ध्याचल थर्मल पावर जब बन रहा था उससे 9 गाँव जो उजड़ने वाले थे उनके लिए हम क्या भूमिका निभा सकते हैं इस पर सोचना शुरू किया। इनको पुनर्वास व अन्य सुविधा मिले इसके लिए फरवरी, 1983 में मैंने यहाँ रहकर कार्य शुरू किया।

विस्थापितों की आवाज को लगातार सक्रियता के साथ, पत्रकारों के बीच, साहित्यकारों के बीच, शासन के प्रतिनिधियों के बीच और

इन कम्पनियों के अधिकारियों के बीच चर्चा चलाकर सामने लाने का प्रयास किया। हमारे कार्यों से कुछ उपलब्धियाँ तुरंत मिलीं, जैसे मुआवजा का रेट बढ़ा, पुनर्वास के स्थान दूर-दराज में न होकर नजदीक ही मिले और ज्यादा-से-ज्यादा विस्थापितों को रोजगार में समाहित किया गया।

ये उपलब्धियाँ पहले से चली आ रही पुनर्वास व्यवस्था से कुछ बेहतर ही कही जायेंगी। इन उपलब्धियों के प्रभाव से पुराने समय के पुनर्वास व्यवस्था और रोजगार में भी परिवर्तन हुआ।

1960 के बाद विस्थापन और विकास को लेकर एक चेतना आई कि अब लोग इतने आसानी से अपना स्थान न छोड़ेंगे। सिंगरौली अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर उभरकर सामने आया। अब साहित्यकार, एक्टिविस्ट, मंत्री और विश्व बैंक के लोग भी आने लगे।

प्रश्न : विभिन्न परियोजनाओं का सिंगरौली के जन जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है?

उत्तर : लोग अपनी जीविका से वंचित हो रहे हैं। लोगों के पास जीने-खाने का जो आधार था, इन कम्पनियों के आने से समूल नष्ट हो रहा है। वे लोग जो उजड़ रहे हैं, इन कम्पनियों की दादागिरी के सामने अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। एकाएक इतनी कम्पनियों के विस्तार लेने से बहुत बड़ा पानी का संकट खड़ा हो गया है। खेती-किसानी बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर है। जंगल, बाग-बगीचा भी धीरे-धीरे घटते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। फलदार वृक्ष अब फल देना बन्द कर दिये हैं। पूरे इलाके से पशु गायब हो रहे हैं। परिवार के पास जहाँ औसत 50 पशु होते थे, पशुओं की हाट लगती थी, अब वह सब समाप्त हो रहे हैं। पूरा जन-जीवन तहस-नहस हो गया। पूरे वातावरण में हवा, पानी, वन सब कुछ प्रदूषित होने से नयी-नयी बीमारी उभर आई हैं, नई-नई समस्याएँ उभर आई हैं। स्पष्ट देखा जा सकता है कि चारों तरफ डिस्पेंसरियों की बाढ़ सी आ गयी है और लोग कम आय होने के बावजूद भी लुटे जा रहे हैं। आज सिंगरौली में यहाँ का आदमी बेगाना-सा महसूस कर रहा है। नई-नई तकनीक और बाजार के चलते वह उलझता चला जा रहा है। गैर-बराबरी से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है।

प्रश्न : सिंगरौली में शासन-प्रशासन का रवैया कैसा है?

उत्तर : लगता है सिंगरौली में प्रशासन का गठन कम्पनियों के संरक्षण, संवर्धन और उनकी समृद्धि के लिए ही किया गया है। आज प्रशासन और कम्पनियों के बीच का रिश्ता देखने से लगता है कि कम्पनियों की सुविधा के लिए ही सिंगरौली जिला का निर्माण हुआ है। जिला गठन के तत्काल बाद ही एस्सार पावर प्लाण्ट से प्रभावित गाँव के लोगों ने अपना शान्तिपूर्ण ढंग से आन्दोलन और सत्याग्रह किया, उसको भी जिला प्रशासन बर्दाश्त न कर पाया और कुचल डाला। जिला बनने के बाद में ये प्रशासन का पहला आचरण था। उससे प्रशासन ने इस इलाके से एक संदेश भेजने की कोशिश की कि जो भी कम्पनियों के (अन्याय के) खिलाफ जायेगा, उसको बधौरा गाँव

रिहन्द बाँध, एन.टी.पी.सी. के बिजलीघरों और कोयला खदानों के चलते भी उजाड़े जा चुके हैं।

सवाल यह है कि एक इलाके और एक आबादी को कितनी बार उजाड़ा जायेगा? क्या इसकी कोई सीमा तय होगी? विकास की कीमत कितने लोगों को और कितनी बार देनी पड़ेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसका विकास और किसकी कीमत पर? कहीं यह समृद्धि, विकास और औद्योगीकरण की राह मृग-मरीचिका तो नहीं, जिसमें हम पिछले 60 साल से भटक रहे हैं।

हमें यहाँ के स्थानीय लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि जिस रफ्तार से हमारे नदी-नाले जहरीले हो गये हैं, उससे ज्यादा तेज रफ्तार से हमारी धरती खनिज से भी खाली हो जायेगी। तब क्या होगा? कोयला ज्यादा से ज्यादा 50 साल और चलेगा। पानी और कोयला नहीं रहा तो बिजलीघर और उद्योगों का क्या होगा? और फिर यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो कीमत अदा की है उसका क्या होगा?

बधौरा गोलीकाण्ड, बलियरी विस्फोट, सासन पावर चिमनी दुर्घटना और जयन्त ओवरबर्डन दुर्घटना जैसी घटनायें तो एक चेतावनी हैं। जहाँ नयी परियोजनायें नौकरी या रोजगार की गारण्टी देने से हाथ खड़ा कर रही हैं, वहीं मुआवजा मनमाने ढंग से दिये जा रहे हैं। आदिवासियों की जमीन को शासकीय बताकर उन्हें मुआवजे के हक से भी वंचित किया जा रहा है।

इन तमाम सवालों पर अगर हमने आज आवाज बुलन्द नहीं की तो हमारी आनेवाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ नहीं करेंगी। आज अधिक बुलन्द एकता की जरूरत इसलिए भी है कि अब मोर्चे की दूसरी तरफ सरकार नहीं, निजी कम्पनियाँ होंगी।

ऐसी विकट स्थिति में आइये हम सब मिलकर कुछ सोचें और राह निकालने की कोशिश करें।

-अवधेश कुमार

सृजन लोकहित समिति, टोटी, नवजीवन विहार
सिंगरौली-486 885 (म. प्र.)

91-9425013524

(गोलीकाण्ड) के हथ्र की तरह तैयार रहना होगा। बधौरा के बाद बलियरी बारूद दुर्घटना, सासन की चिमनी गिरने की घटना, जयन्त में पहाड़ का ढहना, बरगवाँ की दुर्घटना, ऐसी अनेक घटनायें हुई जिस पर प्रशासन ने पीड़ित दुःखीजनों की आवाज को अपने षड़यन्त्रों से दबा दिया। पूरे इलाके में रोज दुर्घटनाएँ होती हैं लेकिन प्रशासन के रवैये के कारण उभर कर सामने नहीं आ पाती हैं।

प्रश्न : प्रदेश सरकार का रवैया क्या है?

उत्तर : ऐसा लगता है जैसे प्रदेश सरकार उद्योगपतियों, पूँजीपतियों की गोद में ही बैठ गयी है। उद्योगपति जिस तरह से चाहते हैं सरकार उस तरीके से नतमस्तक होकर काम करती चली जा रही है। प्रदेश सरकार का कोई भी ऐसा आचरण बचा नहीं है जिसकी वजह से प्रशासन आम आदमी के पक्ष में काम कर सके। प्रदेश सरकार ने जिस बेशर्मा से जमीन का अधिग्रहण पूँजीपतियों के हित में किया है वह बहुत ही शर्मनाक, राष्ट्रविरोधी आचरण है, जिसकी कीमत प्रदेश को आने वाले समय में उठानी पड़ेगी। अभी शासन, प्रशासन और पूँजीपति स्थानीय दलालों के मार्फत जिस तरह का वातावरण तैयार कर रहे हैं इसमें यह जरूर लग रहा है कि फिलहाल संघर्ष बहुत उभर कर नहीं आ रहा है लेकिन अन्दर-अन्दर जिस तरीके से उनको लूटा-खसोटा जा रहा है और लोगों में जिस तरीके का आक्रोश सुलग रहा है, वह देर-सवेर फूटेगा। इसमें चिन्ता की बात यह है कि लोगों का आक्रोश गलत रास्ते की ओर न चला जाय, मतलब हिंसा की तरफ। ये बहुत चिन्तनीय विषय है इसलिए अभी से उनके बीच, राजनीति करने वाले सक्रिय होकर सही दिशा देने में अपनी जिम्मेदारी निभायें। क्योंकि सिंगरौली में राजनीतिक लोग दिखाई नहीं पड़ते। ज्यादातर तो व्यावसायिक ही दिखाई पड़ते हैं। सिंगरौली में राजनैतिक लोगों को भी संगठित करने का काम होना चाहिए। किसानों में, मजदूरों में, नौजवानों में ऐसे लोग मौजूद हैं, जरूरत उनके बीच काम करने, उनसे संवाद करने व उन्हें जोड़ने का है।

चिल्का डाँड बस्ती

[चिल्का डाँड सिंगरौली की सीमा पर शक्तिनगर (उ.प्र.) में विस्थापितों की एक बस्ती है।]

चिल्का डाँड बस्ती
रहती है हँसती
पर्यावरण दिवस के आयोजनों पर।
होती है इस दिन
कवायद जो जमकर।।
एनटीपीसी, एनपीसीएल
कनोरिया, हिंडालको
मनाते हैं सभी
धूमधाम से जिसको
गाते हैं गीत
पर्यावरण सुरक्षा के
जताते हैं चिंता
देश-दुनिया की हालत पे।
लेते संकल्प पर्यावरण बचाने का।।
अगले दिन छपती हैं
खबरें अखबारों में
फोटो के साथ, कई-कई कॉलमों में
दिखते हैं अफसर,
पौधों को रोपते
खड़े हैं सहायक लिए पानी और तौलिये
यह षटकर्म, साल दर साल
चलता है।
पर्यावरण रक्षा का नाटक
खूब होता है।।
जानती है सच इनका
चिल्का डाँड बस्ती।
इसीलिए नाटक पर
रहती है हँसती।।
रात-दिन घोलते ये,
जहर हवा-पानी में।
ऊँची चिमनियों से
बहते हुए नालों से
रिहंद के किनारे बने
बड़े राख बाँधों से
रोज होनेवाली ब्लास्टिंग
के धमाकों से।।
रौंदते हैं डोजर से, खेत खलिहानों को,
हरे-भरे गांवों को, जंगलों-पहाड़ों को,
राख ही राख चहुँओर नजर आती है
लाखों टन रोज यह बढ़ती ही जाती है।
बह, बह रिहंद को जहरीला बनाती है।।
अभावों का दूजा नाम विस्थापित बस्ती।
जिंदगी है महंगी बहुत, पर मौत सस्ती।।

-अजय

एक अपील

सिंगरौली का संकट

सिंगरौली की हवा-पानी और धरती दिनों-दिन जानलेवा बनती जा रही है। जो जमीन कभी घने वनों, वन्यजीवों, भारी बरसात के कारण बीहड़ और रहस्यमय मानी जाती थी, वह आज उजाड़ है। हवा में जहर घुल गया है। चारों तरफ धूल, धुआँ और राख उड़ती है। नदियाँ सूख गयी हैं। कुओं में पानी के बदले गैस रिसती है। पेड़-पौधे फल नहीं देते। खेती में उपज घट गई है। बरसात बेहद कम होने लगी है। 90 प्रतिशत लोग फेफड़े ओर पेट की तरह-तरह की बीमारियों से त्रस्त हैं। बच्चों तक को ऐसी गम्भीर बीमारियाँ अपना शिकार बना रही हैं जो कभी सुनी नहीं जाती थीं।

लेकिन यह धरती ऐसी न थी। उसके ऊपर हरियाली थी, उसकी कोख में अकूत खनिज सम्पदा छिपी हुई थी। हवा, पानी सामान्य था। लेकिन आधुनिक विकास की गंगा बहाने के कारण इसका दोहन इस अराजक पैमाने पर हुआ कि करीब 50 साल में ही यह हाँफने लगी। 1962 में रिहन्द बाँध के उद्घाटन के समय पं. नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का तीर्थ कहा था। इस तीर्थ से ही सबसे ज्यादा बिजली पूरे देश में दौड़ती है। एशिया का सबसे बड़ा बिजलीघर यहीं है। अब तक ज्यादातर सरकारी बिजलीघर ही रहे हैं। पर अब भूमण्डलीकरण के दौर में लेंको, एस्सार, रिलायंस, हिण्डालको जैसी नामी निजी कम्पनियों के सुपर ताप विद्युतगृह खुलने वाले हैं।

इतने औद्योगीकरण और विकास के बाद तो इस क्षेत्र से गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन दूर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग खुशहाल हुए जिनमें ठेकेदार, अफसर, व्यापारी और बाहर से आये 'भद्रलोग' हैं लेकिन स्थानीय लोग तो उजड़ते गये। कई गाँव तो तीन-तीन, चार-चार बार उजाड़े गये। आज एस्सार और रिलायन्स की नयी परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले कई लोग

सम्पादकीय विविधता के सम्मान में ही रास्ता है

आदिवासी क्षेत्रों का संकट बढ़ता ही चला जा रहा है। रायपुर की अदालत द्वारा बिनायक सेन, नारायण सान्याल और पीयूष गुहा पर राजद्रोह का मुकदमा कायम करके उम्र कैद का फैसला दिये जाने से एक व्यापक बहस को जन्म मिला है। देश-विदेश के बुद्धिजीवियों ने बड़ी तादाद में बिनायक सेन के समर्थन में और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने की गुहार के साथ बहस करना शुरू कर दिया है। अखबारों में लिखा जा रहा है, इंटरनेट पर बहस हो रही है, नये सक्रिय समूह बन रहे हैं, सरकार को सामूहिक प्रतिवेदन दिये जा रहे हैं। कुल मिलाकर बिनायक सेन प्रकरण पर बहस बेहद तेज और गर्म है। कुछ लोगों ने यह जरूर कहा है कि केवल बिनायक सेन पर बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है, नारायण सान्याल और पीयूष गुहा पर भी राष्ट्रद्रोह और उम्र कैद थोपा जाना उतना ही अन्यायपूर्ण है। कुछ लोगों ने इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया है कि इन लोगों पर राज्य की ज्यादाती का प्रमुख कारण यह है कि ये आदिवासियों के उन संघर्षों के समर्थक हैं जिन्होंने बड़े-बड़े कारपोरेशनों के बढ़ते कदमों और छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक और सामाजिक बर्बादी को रोककर रखा है। लेकिन बड़े-बड़े शहरों और बड़े-बड़े संस्थानों के बुद्धिजीवियों ने इसे संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था बचाने पर केन्द्रित कर दिया है और आदिवासी को ही इस अभियान के बाहर कर दिया है।

माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी क्या चाहती है यह जानना मुश्किल है क्योंकि उनका साहित्य, उनके सम्मेलनों के राजनैतिक प्रस्ताव आदि पढ़ने को नहीं मिलते। माओ के विचार पढ़कर यह नहीं जाना जा सकता कि भारत की माओवादी पार्टी के लक्ष्य क्या हैं? ठीक उसी तरह जैसे कार्ल मार्क्स को पढ़कर यह नहीं जाना जा सकता कि भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनैतिक लक्ष्य क्या हैं? या महात्मा गांधी को पढ़कर यह नहीं जाना जा सकता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राजनैतिक लक्ष्य क्या हैं? वहाँ चल रहे संघर्षों से एक समझ जरूर बनायी जा सकती है। ये संघर्ष दो बातें कहते नजर आते हैं: हमें हमारी जमीन से बेदखल मत करो और हमें हमारी जिन्दगी जीने

दो। ये भूमि (गाँव) और जीवन-शैली के संघर्ष हैं। जब जायेंगे तो दोनों एक साथ जायेंगे और ये आदिवासी सड़कों और शहरों के किनारे टूटी-फूटी झोपड़ियों में रहने वाले मजदूरों का रूप ले लेंगे। आज भी इनकी जो जिन्दगी है वह 200 साल के साम्राज्यवाद के हमले झेल चुकी है। जैसाकि अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि एक बार फिर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शुरू के वर्षों जैसा संसाधनों पर कब्जे का और पूँजी संचय का दौर चल निकला है। दुनिया एक बार फिर एक नई गुलामी से ग्रस्त होने और तमाम इलाकों पर रोलर चले इसके खिलाफ की लड़ाई में छत्तीसगढ़ का आदिवासी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जरूरत यह है कि सत्ता के प्रतिष्ठान जिन्दगी जीने के विविध तरीकों को पहचानें और मानें। यह एक बेहद आक्रामक विचार है कि साइंस और टेक्नोलॉजी से बनायी जाने वाली जिन्दगी सभी जियें चाहे पूँजीपतियों की तरह, चाहे मध्य व व्यावसायिक वर्गों की तरह या फिर मजदूरों की तरह। अगर दिल्ली की सत्ता को अपनी नई क्षमताओं के अनुकूल एक नयी और सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था बनानी है तो पश्चिम की जीवन-शैली की इजारेदारी तोड़नी होगी। आदिवासी और किसान अपनी विद्या, लोकविद्या के आधार पर अपनी जिन्दगी बनायें इसके मौके उन्हें देने होंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात ने आकार लेना शुरू कर दिया है। दिसम्बर, 2010 में मैक्सिको के कानकुन शहर में राष्ट्रसंघ द्वारा प्रायोजित 'जलवायु परिवर्तन' के विषय पर एक वैश्विक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के विरोध में किसानों और आदिवासियों के संगठनों ने शहर में एक 10,000 की तादाद का जुलूस निकालकर अपना अलग मत व्यक्त किया। यह मत व्यक्त किया कि आधुनिक प्रौद्योगिकी की दौड़ पृथ्वी की जलवायु और पृथ्वी के गरीब दोनों के लिये घातक है। 'धरती माँ' के सम्मान के मूल्य की पुनर्स्थापना का यह अभियान आदिवासियों और किसानों की एकता पर जोर देता है तथा लोकविद्या पर आधारित विविध जीवन-शैलियों के सम्मान के सार्वजनिक मूल्यों और मुहावरों की स्थापना में प्रयासरत है।

बड़ा पैसा बड़ा धोखा

2010 के उत्तरार्ध की राजनीति और समाचार मीडिया पर घोटालों की अमित छाप पड़ गई। आदर्श सोसायटी घोटाले में कारगिल की विधवाओं के नाम आवंटित जमीन और रिहायशी इमारत में बम्बई के सबसे महंगे इलाके में महाराष्ट्र सरकार और मिलेट्री के लोगों ने करोड़ों के फ्लैट आने-पौने दामों में अपने नाम कर लिये। दिल्ली में हुए कामनवेल्थ गेम्स के व्यवस्थापकों ने हजारों करोड़ की हेराफेरी की। 2जी स्पेक्ट्रम के नाम से चर्चित मोबाइल संचार के लाइसेन्स घोटाले में सरकारी खजाने से एक लाख छिहत्तर हजार करोड़ लूट लिए गए। अस्सी के दशक का बोफोर्स तोपों की खरीद में हुआ घोटाला इन्कम टैक्स रिपोर्ट के जरिए फिर से चर्चा में आ गया। उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न घोटाला कई हजार करोड़ का आंका जा रहा है। अखबार, टी.वी. सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, संसद, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय सभी जगह ये और इनके छुटभैय्ये घोटाले ही दिखाई दे रहे हैं। निम्नलिखित बातें सुनाई दे रही हैं :-

- (1) ये घोटाले जनता की मूल समस्याओं जैसे महंगाई, बेदखली, कृषि उत्पाद का दाम, नौजवानों की बेरोजगारी से ध्यान बाँटने का काम करते हैं।
- (2) इनसे राजनैतिक व्यवस्था के अन्दर से चरमराने के संकेत मिलते हैं और उसमें महत्वपूर्ण बदलाव की जरूरत रेखांकित होती है।
- (3) ये घोटाले राष्ट्रीय चरित्र के अभाव को दर्शाते हैं तथा सार्वजनिक जीवन में नैतिक मानदण्डों के हास के परिचायक हैं।
- (4) इनमें कोई खास बात नहीं है। पूँजीवादी व्यवस्था झूठ और धोखाधड़ी पर ही टिकी है और कभी-कभी यह सब खुलकर सामने आ जाता है।

सवाल यह नहीं है कि इनमें से क्या सही है। सभी में सत्य का अंश हो सकता है। तो क्या सामान्य लोगों के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है कि वे चुपचाप यह सब होता हुआ देखते रहे?

फिर से सिकुड़ता प्रशासन

प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के इम्तहान की शकल बदल दी गई है। अब विशिष्ट विषयों के प्रश्नपत्र नहीं होंगे। अभ्यर्थियों की क्षमता आँकने का एकमात्र तरीका मानसिक क्षमता (तत्परता) की परीक्षा का होगा। लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाओं में इसी की जाँच की जायेगी। इसका सीधा नतीजा यह होगा कि जिन परिवारों में उच्च शिक्षा का माहौल नहीं होगा यानि अंग्रेजी पढ़ने-लिखने और बोलने का माहौल नहीं होगा, उन परिवारों के बच्चों को इस दौड़ के बाहर कर दिया गया है। ये बच्चे शुरू में इस दौड़ के बाहर ही थे, बीच के कुछ वर्षों में हिन्दी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकार करने से इनके लिये कुछ मौके बने थे जो फिर से बन्द कर दिये गये। क्षेत्रीय भाषाओं और अनुसूचित जाति व पिछड़ी जातियों की पृष्ठभूमि के अफसरों ने इस उच्चवर्गीय, उच्चवर्गीय ढाँचे में सेंध लगा दी। उसे एक बार फिर संकुचित करने का यह एक प्रयास है। एक बात और है—साइंस और सोशल साइंस की पढ़ाई का जमाना लद गया है। इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले भी नौकर से ज्यादा और कुछ नहीं समझे जाते। जमाना मैनेजमेण्ट, कम्प्यूटर और मीडिया का है। इन सबमें उच्च अंग्रेजी में

शिक्षा से पैदा तार्किक क्षमता और मानसिक तत्परता प्रमुख गुण होते हैं। ये आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति में घुले बिना नहीं आतीं। इसी हिसाब से प्रशासनिक सेवाओं के इम्तहान की नई रूपरेखा भी बना दी गई है। यह सब ऐसे ही होता है। ये बदलाव हमेशा ही 'तर्कसंगत' और 'समय के अनुकूल' दिखाई पड़ते हैं। लेकिन नतीजा तो वही होगा जो ऊपर हमने कहा है। क्या जनता के प्रति संवेदना ये कोई कसौटी ही नहीं है? क्या सामान्य लोगों की बात समझना तथा उनके सोचने के तरीके के साथ तादात्म्य प्रशासन के लिये कोई मायने ही नहीं रखता? क्या प्रशासन अक्ल, पारस्परिक समझ और समझौते से न होकर केवल आदेश और डण्डे के बल पर किया जाना तय कर लिया गया है?

हमारी राय में समुदायों के नेता सबसे अच्छे प्रशासक हो सकते हैं। जब तक आधुनिकतम शैली के आकर्षण से हम अपने को मुक्त नहीं करते तब तक इस देश की क्षमताओं और स्रोतों की ओर हमारा ध्यान कैसे जायेगा।

एक ज्ञान आन्दोलन की जरूरत है

जब से दुनिया ने औद्योगिक युग से निकल कर सूचना (ज्ञान) युग में प्रवेश किया है तब से वैश्वीकरण कम्प्यूटर-इंटरनेट और आधुनिक शिक्षा के संस्थानों ने लोकविद्या और संगठित विद्या के अंतर्विरोधों को खुलकर सामने ला दिया है। खुले आम दो दुनियाँ बसाई जा रही हैं। एक तरफ किसानों, कारीगरों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं और छोटे-छोटे दुकानदारों (लोकविद्याधर समाजों) का शोषण, विस्थापन व दमन बढ़ता चला जा रहा है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय संसाधनों की मनमानी लूट करके मॉल, हाइटेक सिटी, मेट्रो, लम्बी-चौड़ी सड़कें व ऐय्याशी की तमाम व्यवस्थाओं को बनाते चले जा रहे हैं। तेजी से गैर-बराबरी को बढ़ाने वाली और सृष्टि का विनाश करने वाली ये व्यवस्थाएँ आधुनिक ज्ञान पर मौलिक संदेह को तर्कसंगत और जायज बनाती हैं।

अभी तक बुनियादी बदलाव के जन-आन्दोलनों ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक सवाल उठाये हैं, इन पर संघर्ष किया है व पुनर्चना के प्रयास भी किये हैं। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि जब से सूचना युग में ज्ञान आधारित पूँजीवाद ने आकार लिया है तब से इन मुद्दों पर के हर जन-आन्दोलन को वह भोथरा बनाने में सफल हो जाता है। ऐसे में इंटरनेट और संस्थागत ज्ञान की दुनिया को चुनौती देना सामाजिक बदलाव की एक बुनियादी शर्त दिखाई देती है। ज्ञान के क्षेत्र में अब लोकविद्या के नेतृत्व के बगैर बराबरी, न्याय और भाईचारे का समाज बनाना संभव नहीं है। ज्ञान के पूँजीवाद से जन्मी गैर-बराबरी से मोर्चा ले पाने के लिये यह जरूरी है कि लोकविद्याधर समाजों के संघर्षों के साथ लोकविद्या के ज्ञान आन्दोलन आकार लें। ये ही लोकविद्या जन-आन्दोलन कहलायेंगे। लोकविद्या जन-आन्दोलन में ही बदलाव के सूत्र निहित हैं।

वैश्विक स्तर पर भी किसानों और आदिवासियों के अभियान ऐसा ही आग्रह करते दिखाई देते हैं। 'भोजन प्रभुसत्ता' और 'धरती माँ' जैसे नये राजनैतिक मुहावरे अस्तित्व में आ रहे हैं। अपने देश के किसानों और आदिवासियों के आन्दोलनों में भी यह संभावना निहित है। स्थानीय संसाधनों के बल पर खेती से सभी का पेट भरना और धरती को अपनी माँ के समान समझना, जैसी बातें पूँजी और साइंस की सत्ता से एकदम मेल नहीं खाती हैं तथा वैकल्पिक लोकविद्या परम्पराओं की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। इसी में शोषण, उत्पीड़न और गैर-बराबरी के खिलाफ चुनौती का नया सूत्र है। यह सूत्र लोकविद्याधर समाज के ज्ञान आन्दोलन का सूत्र है।

कोई भी मौलिक जन आन्दोलन एक ज्ञान आन्दोलन भी होता ही है। सत्ता की ज्ञान की चौखट को चुनौती दिये बगैर सामाजिक व्यवस्थाओं में बुनियादी बदलाव संभव नहीं है। क्या कबीर, रैदास या गाँधी यहीं नहीं कर रहे थे? इन्हीं की परम्परा में एक ज्ञान आन्दोलन खड़ा करना यह बुनियादी बदलाव की राजनीति की आज एक अनिवार्य शर्त है।

किसान, कारीगर, आदिवासी, छोटा दुकानदार एक हों

क्योंकि

सूचना युग में कम्प्यूटर-इंटरनेट और वैश्वीकरण मिलकर किसानों, कारीगरों, छोटी दुकानदारी को उजाड़ रहे हैं, मजदूरी को घटा रहे हैं।

कैसे?

1. इनके श्रम को बाजार में कम दाम देकर
2. इनके ज्ञान यानि लोकविद्या को लूटकर
3. शिक्षा को महंगी बना कर व इन्हें नये ज्ञान से वंचित कर

आइए

1. लोकविद्या के बल पर जीविका के अधिकार का दावा करें।
2. सूचना युग में श्रम और ज्ञान की लूट को रोकने के उपाय खोजें।
3. बाजार और ज्ञान के क्षेत्र में हो रहे शोषण की समझ और विरोध को आकार दें।

लोकविद्या पंचायत के पाठकों से

1. हर 50 रुपये पर 12 अंक दिये जायेंगे।
2. पंजीकरण की अर्जी दे दी गयी है। प्रक्रिया पूरी होने पर हर माह अंक निकाला जायेगा।
3. अपने विचार अवश्य भेजें।
4. अपने क्षेत्र के लोकविद्याधरों की समस्याएँ, संघर्ष एवं संगठनों के बारे में अवश्य लिख भेजें।

सम्पर्क फोन : 9452824380

जलवायु परिवर्तन और लोकविद्या

जलवायु परिवर्तन के विषय पर बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय बहस है। वास्तव में प्रदूषण और पर्यावरण की बहसों ने ही 'जलवायु परिवर्तन' का रूप ले लिया है। कहा यह जा रहा है कि वातावरण में कार्बन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाने से तथा अन्य कुछ गैसों के उत्सर्जन से (बाहरी वातावरण, ओजोन की परत आदि पर) आने वाले प्रभाव से जलवायु में अनपेक्षित बदलाव आ रहे हैं। सामान्य औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, वर्षा का क्रम गड़बड़ा रहा है, असामयिक व अत्यधिक गर्मी व ठण्ड पड़ रही है आदि। इससे पेड़-पौधों व प्राणियों की कई प्रजातियाँ खतरे में पड़ गई हैं, मर रही हैं तथा पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन भी खतरे में पड़ने की आशंका है।

हाल में कानकुन (मैक्सिको, अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा) शहर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित जलवायु के प्रश्न पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। जिसमें दुनियाभर के आदिवासियों और किसानों ने अपना पक्ष रखा, जंगलों की गोद में रहनेवाले लोगों की समस्याओं को रेखांकित किया और यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने के उपाय पक्के किये जाने चाहिये। ऐसे नियम कानून बनने चाहिये जिससे बड़ी कम्पनियाँ और अमीर देश मनमाना न कर सकें। राष्ट्रसंघ की जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित सभी निर्णायक प्रक्रियाओं में उन्होंने अपनी भागीदारी की माँग की। दुनियाभर में लगभग 36 करोड़ आदिवासी हैं तथा राष्ट्रसंघ की इस बैठक में उनके प्रतिनिधि लगभग 60 थे।

इससे पहले डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में पिछले साल इसी विषय पर राष्ट्रसंघ समर्थित अंतर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस हुई थी। वहाँ के निर्णयों पर अमीर देशों का पूरा प्रभाव रहा जो पर्यावरणीय प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के लिये सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं और जो अपनी जीवन-शैली बदलने के लिये तैयार नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह सारी बहस 1993 में ब्राजील में हुए 'पृथ्वी सम्मेलन' से शुरू हुई है। उसी वक्त वहाँ पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बुश (इराक पर आक्रमण करने वाले राष्ट्रपति बुश के पिता) ने साफ शब्दों में कहा था कि अमेरिका की जीवन-शैली बहस के बाहर रखें, वह उसे नहीं बदलेगा, चाहे जो हो जाये। इसके बाद जापान के शहर क्योटो 1997 में राष्ट्रसंघ का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ जिसमें विस्तृत प्रतिबद्धतायें

जाहिर की गईं जो 2005 में लागू हो गईं लेकिन अधिकांश देशों ने उसका पालन नहीं किया। अमेरिका शुरू से ही इसमें शामिल नहीं रहा। राष्ट्रसंघ के इन सम्मेलनों को झूठा और मुखौटा भर बताकर विरोध करने वाले संगठन सम्मेलन स्थलों पर हमेशा ही पहुँचते रहे हैं और पुलिस की मार और गिरफ्तारियाँ झेलते रहे हैं।

पिछले साल कोपेनहेगन में भी अच्छा विरोध प्रदर्शन हुआ लेकिन चूँकि ये प्रदर्शनकारी ज्यादातर अमीर देशों के ही होते हैं इसलिये जीवन-शैली में बदलाव की बात अनिवार्य होने के बावजूद रफ्तार नहीं पकड़ पाती।

2010 के अप्रैल में दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र बोलिविया की राजधानी कोचाबाम्बा में इन सम्मेलनों के विकल्प के रूप में एक 'धरती माँ सम्मेलन' किया गया। यहाँ कई देशों के साम्राज्यवाद विरोधी कार्यकर्ता तथा आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हुये। बोलिविया के राष्ट्रपति इवो मोरेल्स खुद एक आदिवासी हैं। दक्षिण अमेरिका के विभिन्न देशों में हो रहे परिवर्तनों ने जो साम्राज्यवाद विरोधी माहौल तैयार किया है उसमें बोलिविया में हुए इस 'धरती माँ सम्मेलन' ने एक नया अध्याय जोड़ा। बोलिविया के प्रतिनिधि कानकुन गये थे और वहाँ उन्होंने 'धरती माँ सम्मेलन' में पारित प्रस्तावों को रखा जिसपर अमेरिका व उसके सहयोगी देशों ने बात करने से भी इनकार कर दिया। कानकुन में बोलिविया के एतराज के बावजूद सारे निर्णय लिये गये। बोलिविया का कहना है कि कोपेनहेगन असफल था और कानकुन भी असफल है। मोटी बात यह है कि अभी जलवायु परिवर्तन से लगभग 3 लाख गरीब लोग हर साल मरते हैं। राष्ट्रसंघ सम्मेलनों के निर्णयों के चलते यह संख्या अब 10 लाख हो जायेगी।

आदिवासी समुदायों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात कहने और उस पर टिके रहने का यह घटनाक्रम एक नई राजनीति को शुरू करता हुआ देखा जाना चाहिये। यह लोकविद्या की राजनीति है। दुनियाभर के किसानों को इसका स्वागत करना चाहिये। धरती माँ के अधिकारों की यह बातचीत धरती माँ के दर्शन और धरती के साथ अनन्य रूप से जुड़े हुए लोगों की जरूरतों से पैदा हुई है। लोकविद्या दृष्टिकोण से सोचकर देखें तो इस नई प्रक्रिया के विभिन्न पहलू खुलते चले जा सकते हैं।

- सुनील सहस्रबुद्धे

लोकविद्या जन आन्दोलन : वाराणसी में तैयारी बैठक

20-21 नवम्बर, 2010

विद्या आश्रम अब तक एक ज्ञान संवाद प्रक्रिया चलाता रहा है, लोकविद्या दृष्टिकोण से पुस्तिकाओं का प्रकाशन करता रहा है और किसानों, कारीगरों, आदिवासियों, महिलाओं और पटरी के व्यवसायियों के संगठन और संघर्षों में भागीदार रहा है। मार्च, 2010 से लोकविद्या पंचायत (मासिक) के प्रकाशन के साथ वाराणसी, चन्दौली, सिंगरौली, इन्दौर, नागपुर, हैदराबाद और चेन्नई में वहाँ के विद्या आश्रम के सहयोगियों की पहल पर हुई बैठकों में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भूमि अधिग्रहण, बिजली, असिंचित भूमि के किसान, कृषि उत्पादन के मूल्य, लोकविद्या आधारित जीवन के मौलिक संवैधानिक अधिकार, शिक्षा, मीडिया, ज्ञान प्रबन्धन और इंटरनेट ज्ञान वार्ता जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चायें हुईं। इन बैठकों ने लोकविद्या जन-आन्दोलन के निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित किया और पहली तैयारी बैठक विद्या आश्रम, सारनाथ में करने का निर्णय हुआ।

कार्यवाही

लोकविद्या जन-आन्दोलन की इस पहली तैयारी बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के साथियों ने भाग लिया। इस बैठक में भारतीय किसान यूनियन (वाराणसी, चन्दौली), अखिल भारतीय किसान महासभा (चन्दौली), शेतकरी संघटना (नागपुर-वर्धा विजय जावंधिया समूह), सृजन लोकहित समिति (सिंगरौली, म. प्र.), विज्ञान कलानिधि संस्था (इन्दौर), लोकविद्या साधिकार संघटना (चिराला, आन्ध्र प्रदेश), बुनकर वेलफेयर संघर्ष समिति (वाराणसी), नारी हस्तकला उद्योग समिति (वाराणसी), डिबेट सोसायटी (वाराणसी) और विद्या आश्रम के प्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता व किसान, कारीगर, आदिवासी, छात्र एवं छोटे दुकानदारों की भागीदारी हुई। कुल 60 व्यक्तियों की भागीदारी रही।

दो दिनों की बैठक में कुल चार सत्रों में वार्ता चली। पहले सत्र में वाराणसी, सिंगरौली, इन्दौर, नागपुर और आन्ध्र प्रदेश के साथियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में लोकविद्या विचार से हुए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की और लोकविद्या विचार को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक बनाने की संभावनाओं को उजागर किया। इस सत्र की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के वाराणसी मण्डल के अध्यक्ष जगदीश सिंह यादव और हैदराबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉ. नरेश शर्मा ने की। दूसरे सत्र में लोकविद्या जन-आन्दोलन के लिये महत्वपूर्ण बन सकने वाले कुछ मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिनमें भूमि अधिग्रहण, लोकविद्या जीवनयापन अधिकार कानून, राष्ट्रीय संसाधनों (विशेष संदर्भ बिजली) का बराबर का बँटवारा व शिक्षा के मुद्दे मुख्य थे। इस सत्र की संयुक्त अध्यक्षता शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र, के पूर्व अध्यक्ष विजय जावंधिया और बंगलुरु के ज्ञान प्रबन्धन विशेषज्ञ डॉ. जे. के. सुरेश ने की। पहले दिन के दोनों सत्रों ने लोकविद्या जन-आन्दोलन के स्वरूप को समझने का आधार तैयार किया।

दूसरे दिन के पहले सत्र से लोकविद्या जन-आन्दोलन की तैयारी की प्रक्रियाओं पर चर्चा शुरू हुई। लोकविद्या पंचायत (मासिक) के प्रकाशन को नियमित करने व बढ़ाने पर चिंतन हुआ। हिन्दी के अलावा मराठी, तेलगु और मालवी/निमाडी भाषाओं में इसके मुख्य लेखों के अनुवाद और स्थानीय समाजों की हलचल को स्थान देते हुए

संस्करण निकाले जाने की आवश्यकता भी सामने आई। यह भी सामने आया कि इसे अधिक लोगों तक भेजने के लिये इंटरनेट का उपयोग भी किया जाये। ज्ञान पंचायतों का प्रभावी व व्यापक इस्तेमाल व लोकविद्या सम्मेलनों के आयोजन पर जोर दिया गया। इस सत्र की संयुक्त अध्यक्षता सिंगरौली से सृजन लोकहित समिति के अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी और इंदौर से पॉलिटिकल कॉलेज के प्राध्यापक संजीव कीर्तने ने की। चौथे और अंतिम सत्र की संयुक्त अध्यक्षता इंदौर के गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट अनिल त्रिवेदी और हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफेसर डॉ. बी. कृष्णराजुलु ने की।

अन्तिम सत्र में लोकविद्या जन-आन्दोलन के निर्माण के प्रस्ताव पर विस्तार से बहस हुई और इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा आन्दोलन की पुख्ता तैयारी के लिये महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

निर्णय

20-21 नवम्बर, 2010 को विद्या आश्रम, सारनाथ की बैठक में सर्वानुमति से लिये गये फैसले-

1. नवम्बर, 2011 में लोकविद्या जन-आन्दोलन का पहला स्थापना सम्मेलन किया जाये।
2. इस सम्मेलन की तैयारी में विचार का एक विस्तृत आलेख तैयार किया जाये। इसके लिये एक प्रस्ताव समिति बनायी जाये।
3. विभिन्न क्षेत्रों एवं लोकविद्याधर समाजों में कार्य करने वालों को लोकविद्या दृष्टिकोण से जोड़ने के प्रयास किये जायें। इसके लिये एक संगठन समिति बनायी जाये।
4. उपरोक्त के अनुसार स्थापना सम्मेलन के लिये निम्नलिखित प्रस्ताव समिति व संगठन समिति बनायी जाती है:-

प्रस्ताव समिति : चित्रा सहस्रबुद्धे (वाराणसी), एहसान अली (वाराणसी), बी. कृष्णराजुलु (हैदराबाद), विजय जावंधिया (वर्धा), अनिल त्रिवेदी (इंदौर), अवधेश द्विवेदी (सिंगरौली)।

संगठन समिति : दिलीप कुमार (वाराणसी), मो. अहमद (वाराणसी), मोहनराव (चिराला), संजीव कीर्तने (इंदौर), गिरीश सहस्रबुद्धे (नागपुर), विनोद (सिंगरौली)।

दोनों ही समितियों का संयोजन विद्या आश्रम को दिया गया। समितियों के विस्तार का हक सम्बन्धित समितियों को दिया गया। प्रस्ताव समिति अगस्त, 2011 तक लोकविद्या जन-आन्दोलन के वैचारिक आलेख का प्रारूप बना ले जिसे आन्दोलन की अगस्त 2011 की तैयारी बैठक में अन्तिम रूप दिया जाये।

5. **लोकविद्या पंचायत (मासिक) संचालन समिति :** चित्रा सहस्रबुद्धे (वाराणसी), प्रेमलता सिंह (वाराणसी), संजीव कीर्तने (इन्दौर), रामसुभग शुक्ला (सिंगरौली), मोहनराव (आन्ध्र प्रदेश)। चर्चा में जगदीश सिंह यादव, नरेश शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद, संजीव कीर्तने, विजय जावंधिया, अवधेश द्विवेदी, मोहन राव, कृष्णराजुलु, विनोद, रामसुभग शुक्ला, श्रवण कुमार कुशवाहा, सुनील सहस्रबुद्धे, रामअधर गिरि, अनिल त्रिवेदी, प्रेमलता सिंह, कृष्ण कुमार, दिलीप कुमार, रवि शेखर, संतोष कुमार संविज्ञ, एकता, गुंजन सिंह, रामदुलार मौर्य, जे. के. सुरेश, रामजनम, चित्रा सहस्रबुद्धे ने अपने विचार रखे।

लोकविद्या जन आन्दोलन

पारित प्रस्ताव

(वाराणसी, 21 नवम्बर 2010)

1. वैश्वीकरण और कम्प्यूटर-इंटरनेट ने लोकविद्या और संगठित विद्या के बीच के अन्तर्विरोध को खुलकर सामने ला दिया है। ज्ञान के क्षेत्र की ये दो दुनियाँ जैसे कि हाड़-मांस की खुलेआम बनायी जा रही दो दुनियाँ का कारक भी हों और नतीजा भी। चाहे अध्ययनों के हवाले से देखें या फिर अपने खुद के अनुभवों से जानें, पूरे विश्व में और भारत में भी अमीरों और गरीबों के बीच की खाई निरन्तर बढ़ती ही चली जा रही है। किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, कारीगरों, छोटे-छोटे दुकानदारों और उनके परिवारों (लोकविद्याधर समाजों) का शोषण, उत्पीड़न, विस्थापन और दमन बढ़ता ही चला जा रहा है। खुलेआम दो दुनियाँ बसायी जा रही है। एक तरफ उन्माद है, राजधानियों में केन्द्रित राजनीति का उन्माद, धार्मिक प्रतिष्ठानों का उन्माद, बड़ी पूँजी व विश्व बाजार का उन्माद एवं उच्च शिक्षा संस्थानों का उन्माद और दूसरी तरफ बेहाल जनता को संगठित करने वाले नई परिस्थितियों से मुकाबला करने के रास्ते खोज रहे हैं।
 2. यह समझना जरूरी है कि ये रास्ते ज्ञान की दुनिया से होकर गुजरते हैं। जब तक किसान और आदिवासी, कारीगर और महिलायें, पटरी के व्यवसायी और मजदूर अपने ज्ञान का, लोकविद्या का दावा नहीं पेश करते, जब तक यह दावा नहीं पेश किया जाता कि पूँजी और शैक्षणिक व्यावसायिकता के प्रभुत्व को बुनियादी चुनौती लोकविद्या ही दे सकती है और यह कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी तथा भाईचारे का समाज लोकविद्या के आधार पर ही बनाया जा सकता है, तब तक हम बुनियादी बदलाव के अपने-अपने कटघरों और कल्पनालोकों में ही कैद रहेंगे। लोकविद्याधर समाज का ज्ञान का दावा ही नयी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक सोच को जन्म दे सकता है। **लोकविद्या जन-आन्दोलन** इसी दावे को मूर्तरूप देता है।
 3. लोकविद्या लोगों के बीच बसती है और ज्ञान का मूल रूप है। सभी ज्ञान लोकविद्या से शुरू होता है और लोकविद्या में ही वापस आता है। जो ज्ञान लोकविद्या में वापस नहीं आता वह मनुष्य और प्रकृति का नाश करता है तथा ज्ञान कहलाने लायक नहीं होता। लोकविद्या जन-आन्दोलन लोकविद्याधर समाज का वह ज्ञान आन्दोलन है, जो लोकविद्या दृष्टिकोण के मुताबिक लोकहित में समाज के बुनियादी पुनर्संगठन के रास्ते खोलता है। हर क्षेत्र के लोकविद्या विचार से प्रेरित कार्यकर्ताओं को लोकविद्याधर समाज के ज्ञान आन्दोलन का निर्माण करना होगा। यही **लोकविद्या जन-आन्दोलन** होगा। लोकविद्या जन-आन्दोलन की तैयारी में समितियों के लिये तथा लोकविद्या दृष्टिकोण से कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं, सभी के दिशाबोध के लिये निम्नलिखित पर सहमति बनी:-
- (i) **आन्दोलन के मुद्दे :** निम्नलिखित प्रत्येक मुद्दे पर पुस्तिका तैयार करने की जिम्मेदारी क्रमशः निम्नलिखित लोगों पर होगी।
- लोकविद्या जीवनयापन अधिकार कानून बनाया जाये। -कृष्णराजुलु
 - सभी किस्म के ज्ञान बराबर माने जायें। -गिरीश सहस्रबुद्धे
 - खाद्य, वस्त्र व जूता-चप्पल के क्षेत्र किसान, बुनकर तथा सम्बन्धित कारीगरों व महिलाओं के लिये आरक्षित हों तथा इसमें स्थानीय बाजार व खुदरा व्यापार को वरीयता दी जाये -प्रेमलता सिंह
 - बिजली का बराबर का बँटवारा हो। -दिलीप कुमार व श्याम किशोर जायसवाल
 - भूमि अधिग्रहण का विरोध हो। सम्बन्धित कानून रद्द हो।
 - भवन निर्माण 'मजदूर' को कारीगर का दर्जा मिले।
 - आदिवासी विद्या परिषद का गठन किया जाये।
- (ii) **प्रक्रियायें :**
- लोकविद्या पंचायत मासिक
 - ज्ञान पंचायत
 - लोकविद्या पंचायत सम्मेलन
 - लोकविद्या विचार से प्रेरित स्थानीय एवं क्षेत्रीय संगठन, अभियान आदि।
- (स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता बनाये रखी जाये। सामुदायिक विविधता बनाये रखी जाये।)
- (iii) **कार्य-लक्ष्य :** (नवम्बर 2010 से नवम्बर 2011 के लिये)
- लोकविद्या जन-आन्दोलन के निर्माण का विचार सार्वजनिक जीवन में लाना।
 - लोकविद्या जन-आन्दोलन के लिये आवश्यक साहित्य और उपरोक्त मुद्दों पर पुस्तिकाओं का प्रकाशन करना।
 - नवम्बर 2011 के सम्मेलन की एक तैयारी बैठक अगस्त 2011 में करना।
 - अगस्त 2011 की तैयारी बैठक तक वैचारिक प्रस्ताव तैयार करना।
 - लोकविद्याधर समाज में कार्यरत अधिकाधिक संगठनों, समूहों और व्यक्तियों से सम्पर्क एवं वार्ता करना।

प्याज, टमाटर और महुँगाई की राजनीति

पिछले दिनों 100 रु. किलो प्याज और 50 रु. किलो टमाटर पर बड़ी चर्चा रही। ऐसा न होता तभी आश्चर्य की बात होती! बाजार में प्याज 80-100 रु., टमाटर 50 रु., बैंगन 40 रु. और मटर 40 रु. प्रति किलो में बिक रहा है, इस बात का क्या अर्थ निकाला जाय? कुछ साल पहले प्याज की कीमतें इसी प्रकार रिकार्ड तोड़ उछली थीं। तब प्याज 30-40 रु. प्रति किलो बिका था। तब केन्द्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और वर्तमान लोकसभा की विरोधी दल नेता श्रीमती सुषमा स्वराज केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में एक महत्वपूर्ण सदस्या थीं। हवाई जहाज से प्याज आयात कर दाम गिराने का प्रयास तब भी हुआ था। वर्तमान मनमोहन सरकार इस मामले में वही नीतियां अपना रही है। उस समय का चरम दाम 40रु. किलो था। आज वही 80-100 रु. प्रति किलो का आँकड़ा छू रहा है। हम क्यों यह मानने को तैयार नहीं हैं कि इसका असली कारण छठें वेतन आयोग के लागू होने और इससे बढ़ी मुद्रास्फीति की स्थिति में है?

आलू-प्याज का तो साल भर तक भण्डारण भी किया जा सकता है लेकिन टमाटर, बैंगन, भिण्डी, धनिया जैसी अनेक सब्जियों का क्या किया जाय? इनका भण्डारण किया भी जाय तो इसका खर्च ऊँचा होगा। प्याज-टमाटर अगर ऊँचे दामों में बाजार में बिक रहे हैं तो इसका कारण यह है कि ये दाम देने की क्षमता रखने वाला एक वर्ग हमारे यहाँ समाज में उभर चुका है। इस साल अधिक वर्षा के कारण सब्जियों की फसलों की पैदावार में भारी गिरावट आई और कुछ मात्रा में दामों का बढ़ना वैसे भी अपरिहार्य था। यह तो बात हुई तब की जब उत्पादन में गिरावट हो। असलियत तो यह है कि जब सब्जियों का किसान सब्जियों की अच्छी फसल लेता है तब उनके अच्छे तो दूर की बात है, वाजिब दाम तक नसीब नहीं होते। ऐसी स्थिति में अगर वह सब्जियों की खेती ही बन्द कर दे तो क्या होगा?

यह मेरा कोई मनगढ़न्त डर नहीं है। विदर्भ का किसान और वहाँ की खेती, वहाँ आज भी जारी किसानों की आत्महत्याओं की वजह से काफी अरसे से सतत चर्चा का विषय रहे हैं। विदर्भ में 40 प्रतिशत जमीन पर ज्वार की सूखी खेती हुआ करती थी। ज्वार की फसल के बाद अगले साल उसी जमीन पर कपास की बुआई होती थी। ज्वार-कपास-ज्वार यह बुआई का क्रम खेती और जमीन के लिए फायदेमन्द था। आज स्थिति यह है कि 2 प्रतिशत जमीन पर भी ज्वार की बुआई नहीं हो रही है। कारण यह है कि ज्वार की फसल बोना घाटे का सौदा है। विदर्भ के गाँव-गाँव में अब राशन व्यवस्था के मार्फत गेहूँ और चावल का प्रवेश हो चुका है। प्याज-टमाटर के दामों की इस चर्चा में ज्वार का मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि इस चर्चा में किसानों की

आर्थिक वास्तविकताओं को प्राथमिकता मिले, न कि राजनैतिक दलों की राजनीति को, जैसा कि इस विषय में प्रसार माध्यमों में प्रसारित अधिकतर वार्ताओं और टिप्पणियों में देखने में आता है।

गेहूँ, चावल या दाल के भाव तो जमाखोरी के बल पर काला बाजार जैसे मार्गों से बढ़ाये भी जा सकते हैं लेकिन टमाटर, बैंगन, हरा मटर या धनिया की जमाखोरी तो बहुत महुँगी होगी। फिर इनके दाम क्यों सिर चढ़ रहे हैं? यही असली सवाल है। इसका सच्चा और सीधा-साधा जवाब यह बनता है कि शायद महुँगाई की परिभाषा पुनः करने का समय अब आ गया है। असलियत यह है कि बुद्धिजीवी, नियोजनकर्ता और नीतिनिर्धारण की प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी सोचते हैं कि वेतन में तो समय-समय पर भारी बढ़ोत्तरी हो लेकिन सब्जियाँ बाजार में पुराने ही दामों पर मिलें। अगर छठें वेतन आयोग ने न्यूनतम 16,000रु. मासिक वेतन बहाल किया है तो असंगठित खेतिहर मजदूरों का न्यूनतम दैनिक वेतन क्या हो? और अगर यह न्यूनतम वेतन खेतिहर मजदूर को देना है तो कृषि उत्पाद के दाम क्या हों? ये प्रश्न तो हमें अपने आप से पूछने ही होंगे। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत 120 रु. प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी तय हुई है। फिलहाल यह प्रश्न न भी पूछा जाय कि क्या यह मजदूरी वाजिब है, तब भी इस सवाल का जवाब तो माँगना ही होगा कि इतनी मजदूरी देनी है तो कृषि उत्पाद के दाम क्या होने होंगे। इस परिप्रेक्ष्य में क्या यह सोचना गलत न होगा कि आज भी 10 रु. प्रति किलो के दाम से ही सब्जियाँ उपलब्ध हों?

सभी निजी दूरदर्शन चैनलों ने महुँगाई पर वार्ता के कार्यक्रमों को प्रसारित करने में अगुवाई की। इन प्रसारणों में कई आँकड़ों को लेकर चर्चा की गई। जिन बातों पर लगभग सभी कार्यक्रमों में ध्यान आकर्षित किया गया उनमें से एक यह थी कि गेहूँ और चावल के दामों में कोई विशेष बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। अरहर की दाल के दाम तो 100 रु. से 55 रु. प्रति किलो तक घटे हैं। चीनी के भाव भी 50 रु. किलो तक चढ़ने के बाद अब 30-35 रु. प्रति किलो पर आ टिके हैं। अगर ब्राजील में चीनी के दाम तीखे न बने रहते तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ दाम और नीचे गिरे हुए देखने को मिलते। तेल के दाम पिछले दो माह से बढ़ रहे हैं। लेकिन यह भी याद दिलाना होगा कि 2008 के बाद ये दाम गिरे थे। तब, जब कि 80-90 रु. के स्तर से तेल के दाम 50-55 रु. पर आ गिरे थे। यही प्रसार माध्यम इस सम्बन्ध में कुछ क्यों नहीं कह रहे थे? अरहर के दामों में इस समय भारी मन्दी है। 5000 रु. प्रति कुंतल से गिरकर आज ये दाम 2800 रु. पर लुढ़क गये।

उत्पादन बढ़े इस विचार से सरकार ने 3000 रु. के दाम की घोषणा की है। यह भी घोषित किया गया है कि नाफेड अरहर खरीदेगा और 500 रु. प्रति कुंतल का बोनास भी किसानों को मिलेगा। अर्थात् अरहर के लिये 3500 रु. प्रति कुंतल की गारण्टी है! फिर भी किसान बाजार में 2700-2800 रु. पर अरहर बेचने पर मजबूर है। इसका क्या कारण है यह कौन पूछेगा? प्रसार माध्यम और राजनेता इस विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा क्यों?

इस वर्ष गेहूँ के गारण्टी मूल्यों में गत वर्ष की तुलना में मात्र 20 रु. प्रति कुंतल का इजाफ़ा किया गया। यह मूल्य आज सिर्फ 1120 रु. प्रति कुंतल है। धान के लिये यही मूल्य 1050 रु. है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के किसानों को यह गारण्टी मूल्य भी नसीब नहीं होता। मैं पूरी गम्भीरता के साथ यह पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार विदर्भ के किसानों ने ज्वार की फसल लेना बंद कर दिया है उसी प्रकार पंजाब और हरियाणा के किसान अगर गेहूँ और चावल की पैदावार रोक दें तो देश की अन्न-सुरक्षा का क्या होगा? आयात के बल पर अन्न-सुरक्षा कहाँ तक टिकेगी?

प्याज तथा टमाटर के दामों को लेकर महुँगाई पर चली चर्चा में जिस प्रकार से राजनैतिक दल एक-दूसरे पर जिम्मेदारी ढकेलने और लांछन लगाने पर आमादा हैं, वह किसी भी दृष्टि से देश की अर्थनीति के हित में नहीं है। केन्द्र सरकार के कांग्रेसी नेता महुँगाई पर नियन्त्रण, जमाखोरी पर लगाम और कारगर तरीकों से वस्तुओं की आपूर्ति राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बताते हैं। विरोधी दलों का कहना है कि चूँकि वस्तुओं का आयात-निर्यात केन्द्र सरकार के अधिकार में आता है। अतः महुँगाई की रोक-थाम उसी का कर्तव्य है। इस बात में कुछ सच्चाई भी है। हालाँकि हमारे संविधान में कृषि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन खेती से जुड़े सारे महत्वपूर्ण निर्णय केन्द्र सरकार के खेमे में ही होते हैं।

दुनिया के किसी भी अमीर देश में सरकार की मदद के बगैर खेती सम्भव नहीं है। अगर अमेरिका और यूरोपीय देशों के किसानों को उपलब्ध कृषि अनुदानों में इमानदारी से कटौती की जाती है तो वैश्विक बाजार से सस्ते अनाज का आयात असम्भव है। नयी अर्थनीति, रुपये का अवमूल्यन, पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि, छठें वेतन आयोग तथा विधायकों के वेतनों में वृद्धि जैसी घटनाओं की पृष्ठभूमि पर यह जरूरी है कि सारे राजनैतिक दल कृषि की व्यवस्थाओं में मौलिक बदलाव की आवश्यकता को पहचानें और केन्द्र तथा राज्य की सरकारें इस प्रश्न पर इकट्ठा विचार करें।

— विजय जावंधिया

असिंचित खेती पर ज्ञान पंचायत

(25-26 सितम्बर 2010, नागपुर)

गत 25-26 सितम्बर 2010 को नागपुर स्थित विधायक निवास में असिंचित खेती पर ज्ञान पंचायत सम्पन्न हुई। पंचायत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल हुए। दो दिनों तक असिंचित खेती के सवाल पर विस्तार से चर्चा हुई जिसमें किसान आन्दोलन में सक्रिय रहे लगभग 30-40 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पंचायत में कर्नाटक राज्य रैयत संघ के बुजुर्ग नेता श्री बासवराज तम्बाके, शेतकरी संघटना और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के पूर्व अध्यक्ष विजय जावंधिया, वाराणसी स्थित विद्या आश्रम के सुनील सहस्त्रबुद्धे, हैदराबाद के कृष्णराजुलु, मध्य प्रदेश के सर्वोदयी कार्यकर्ता श्री अनिल त्रिवेदी, शेतकरी संघटना के पूर्व अध्यक्ष किशोर माथनकर, चन्द्रकान्त वानखेड़े, विजय कड्डू, अरविन्द नळकांडे, जल-जंगल-जमीन आन्दोलन से जुड़े सूर्यभान खोब्रागडे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। पंचायत का आयोजन विजय जावंधिया, गोसीखुर्द प्रकल्प से विस्थापित किसानों के बीच कार्यरत विलास भोंगाडे और लोक विद्या प्रतिष्ठान के गिरीश सहस्त्रबुद्धे ने किया था।

पंचायत के प्रारम्भ में प्रस्तावना के तौर पर गिरीश सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि असिंचित खेती का किसान हर प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में भी सिर्फ अपनी विद्या के बल पर ही इस खेती को चला रहा है। प्रथम सत्र में असिंचित खेती की पीड़ा पर श्री विजय जावंधिया और श्री बासवराज तंबाके ने अपने विचार विस्तार से रखे। श्री जावंधिया ने कहा कि सरकार ने अपनी नीतियों से सभी किसानों की हजामत की है- सिंचित खेती के किसान की पानी से, और असिंचित किसान की बिना पानी से। उन्होंने कहा कि किसान आन्दोलन ने हमेशा यह माना है कि देश की गरीबी का प्रश्न मुख्यतया असिंचित खेतिहर की गरीबी का प्रश्न है। खेती के नाम पर दी जानेवाली अधिकतर सब्सिडी सिंचित खेती से सम्बन्धित है - जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहीं बिजली, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग होता है। एक तरफ छठे वेतन आयोग की कृपा से न्यूनतम वेतन 16 हजार रुपया है तो दूसरी तरफ किसान अपने खेतिहर मजदूर को 3000/- रुपये भी देने की क्षमता नहीं रखता। श्री बासवराज तंबाके ने कहा कि असिंचित खेती संपूर्णतया निसर्ग पर निर्भर है। इस साल किसान अधिक वर्षा के कारण पीड़ित है। किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर आत्महत्या के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा दूसरे किसी व्यवसाय में नहीं होता। इसे किसानों की आत्महत्या नहीं बल्कि व्यवस्था द्वारा उनकी हत्या ही मानी जानी चाहिये। उन्होंने बताया कि गत पाँच साल से कर्नाटक सरकार रैयत संघ के प्रतिनिधियों से बिना चर्चा किये राज्य का बजट तय नहीं कर सकती। लेकिन कर्नाटक के विधायक और सांसद इसी बात को दिल्ली में उठाने से भी कतराते हैं। साथ मिलकर संघर्ष करने से हल निकल सकता है।

पंचायत के दूसरे सत्र में सुनील सहस्त्रबुद्धे ने लोकविद्या दृष्टिकोण पर बोलते हुए कहा कि लोकविद्या लोगों के बीच सामान्य जीवन में स्थित ज्ञान है। लोकविद्या का नित-नवीनीकरण होता है। वर्तमान व्यवस्था लोकविद्या को नकारती है। किसान ज्ञानी है और किसान समाज लोकविद्याधर समाज का बड़ा हिस्सा है। वर्तमान व्यवस्था उद्योगों की व्यवस्था है। पिछले 200 वर्षों में इस व्यवस्था में तो किसान न्याय नहीं पा सका। किसान को प्रथम मानकर समाज के ताने बाने को कैसे बुना जा सकता है, यह प्रश्न हमें अपने आप से पूछना होगा।

दूसरे दिन की चर्चा असिंचित खेती के किसान की माँगों पर केन्द्रित रही। असिंचित खेती पर सब्सिडी, मनरेगा में खेती पर मजदूरी, अनाज भण्डारण की व्यवस्था, किसान की जमीनें विभिन्न योजनाओं के नाम पर छिनी जाने के प्रश्न और कृषि-अनुसंधान में किसान की विद्या की प्रतिष्ठा चर्चा के प्रमुख मुद्दे रहे। चर्चा में अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने विचार विस्तार से रखे। सारी चर्चा के निचोड़ के रूप में चार प्रस्ताव पारित हुए। उपस्थित कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में इन प्रस्तावों को लोगों के सामने रखेंगे और इन पर कारवाई के लिए सरकार पर दबाव बनायेंगे, इस संकल्प के साथ पंचायत का समापन हुआ।

पंचायत में पारित प्रस्ताव

सरकार की आर्थिक, वित्तीय और कृषि सम्बन्धित नीतियों की भारी मार सभी किसानों पर पड़ी है। इन नीतियों का सर्वाधिक दुष्परिणाम असिंचित क्षेत्रों के किसानों पर पड़ा है। गरीबी का प्रश्न असिंचित किसान की गरीबी से सबसे अधिक निकट से जुड़ा हुआ है। सतत कृषि (सस्टेनेबुल् ऑग्रिकल्चर) का सबसे बड़ा जानकर असिंचित खेती का किसान है। सर्वथा विपरीत परिस्थितियों में मात्र अपनी विद्या के बल पर असिंचित खेती को जारी रखने का लगभग असम्भव काम उसने किया है। इसलिये यह ज्ञान पंचायत यह माँग करती है कि,

1. असिंचित खेती में किसान को आर्थिक प्रोत्साहन के तौर पर 5000/- रु प्रति एकड़ प्रति वर्ष दिये जाएं।
2. इस राशि का उपयोग किसान सुचारु रूप से करेगा। इसके लिए सरकार यह गारण्टी दे कि उसकी फसल को बाजार में उचित मूल्य मिलेगा।
3. असिंचित खेती को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (रोहयो, मनरेगा) की सूची में शामिल किया जाये।
4. किसान कृषि-अनुसंधान में प्रथम शोधकर्ता और इस अनुसंधान के वाहक के रूप में पुनर्स्थापित हो इसके लिए निश्चित कदम उठाये जाएं। सरकारी अनुसंधान संस्थाओं में संकरित बीजों के बजाय पारंपरिक बीजों पर शोधकार्य हों।

— गिरीश सहस्त्रबुद्धे

विजयवाडा में लोकविद्या

जन आन्दोलन की तैयारी बैठक

लोकविद्या जन आन्दोलन की तैयारी में विजयवाडा, आन्ध्र प्रदेश में 17 जनवरी 2011 को एक बैठक सम्पन्न हुई। विभिन्न लोकविद्याधर समाजों के लगभग 15 प्रतिनिधि उपस्थित थे तथा हैदराबाद से लोकविद्या समूह के कृष्णराजुलु, नारायण राव और ललित कौल ने भाग लिया। मशहूर मूर्तिकार नरसिंगराव तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्र रघुराम ने भी भाग लिया। लोकविद्या समूह के सक्रिय संगठक चिराला के मोहनराव ने बैठक संगठित की थी। लगभग 3 घंटे चली इस बैठक में सभी ने लोकविद्या विचार पर तथा लोकविद्या जन आन्दोलन की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किये। एक विचार यह आया कि विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न लोकविद्याधर समाजों के बीच इन चर्चाओं के लिये अनेक छोटी-छोटी बैठकें की जानी चाहिये।

वाराणसी प्रस्ताव (नवम्बर 2010) व लोकविद्या पुस्तिका के तेलुगु भाषांतर वितरित किये गये।

— कृष्णराजुलु

विदर्भ में बिजली परियोजनाओं का विरोध

विदर्भ महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर किसानों ने आत्महत्यायें की हैं। विदर्भ में महाराष्ट्र की 67 प्रतिशत बिजली पैदा होती है। यहाँ फिलहाल कई तापीय बिजलीघर हैं जो कुल मिलाकर लगभग 4660 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। जबकि विदर्भ की कुल माँग 1500 मेगावाट के आसपास आंकी गयी है। यानी विदर्भ अपनी आवश्यकता से कई गुना अधिक बिजली पैदा करता है जिसे वह पश्चिमी महाराष्ट्र को देता है। इसके बावजूद उसी क्षेत्र में अब लगभग 85 नये तापीय बिजलीघरों को स्थापित करने की योजना है जो कुल मिलाकर 55 हजार मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। ये नई परियोजनायें ज्यादातर निजी क्षेत्र में हैं।

इन नई परियोजनाओं के खिलाफ विदर्भ की जनता में खासा रोष है। किसानों को डर है कि उनकी कृषि योग्य भूमि छीन ली जायेगी और इतने सारे तापीय घरों के चलते बड़े पैमाने पर प्रदूषण होगा। अनुमान है कि लगभग 11.6 लाख टन कोयला प्रतिदिन जलेगा, 17.5 लाख टन कार्बन डाइआक्साइड प्रतिदिन पैदा होगी और लगभग 4.6 लाख फ्लाई एश पैदा होगी। इसके अलावा लगभग 25 हजार लाख टन पानी प्रतिदिन इस्तेमाल होगा। निश्चित ही इन सबका स्थानीय जनता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उनकी रोजी-रोटी भी खतरे में पड़ेगी और उन्हें बिजली नहीं मिलेगी, यह तो उन्हें पहले से ही मालूम है।

इन सभी परियोजनाओं के खिलाफ किसान और आदिवासी जगह-जगह विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं।

वाराणसी मण्डल में भारतीय किसान यूनियन का किसान रथ

भारतीय किसान यूनियन की ओर से वाराणसी मण्डल में संगठन को मजबूती से खड़ा करने के लिये चार जिलों के मुख्य गाँवों से एक किसान रथ को चलाया गया। 23 नवम्बर, 2010 को चन्दौली जिले के भूपौली पम्प केनाल से शुरू हुआ यह किसान रथ लगभग 11 दिनों में चन्दौली, वाराणसी गाजीपुर, के विभिन्न गाँवों से गुजरकर 4 दिसम्बर को पुनः चन्दौली पहुँचा। भारतीय किसान यूनियन किसानों का एक अराजनैतिक संगठन है, जो महात्मा चौ. महेन्द्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में पिछले 25 वर्षों से किसानों की ताकत बना हुआ है। भारतीय किसान यूनियन एकमात्र वह जन आधारित संगठन है, जो किसानों के हित को नम्बर एक पर रखता है। रथ का नेतृत्व वाराणसी मण्डल के अध्यक्ष श्री जगदीश सिंह यादव ने किया। भा. कि. यू. के वरिष्ठ नेता श्री बाबूलाल मानव, डॉ. सुनील सहस्रबुद्धे, चन्दौली जिलाध्यक्ष गजानन सिंह, वाराणसी जिलाध्यक्ष श्री लक्ष्मण प्रसाद मौर्य, गाजीपुर जिलाध्यक्ष दिनेश चन्द्र पाण्डेय महासचिव संतोष कुमार संविज्ञ, महासचिव आँकारनाथ पाण्डेय, के साथ-साथ सुल्तान अहमद, शंकर, कृष्ण कुमार क्रांति, कृष्ण कुमार सिंह, दशमी प्रसाद मौर्य, बबलू कुमार इत्यादि लोग प्रमुख रूप से शामिल रहे।

किसान रथ के इस कार्यक्रम में किसानों ने मुख्यतः चार मुद्दों पर जोर दिया।

- 1) राष्ट्रीय संसाधनों का बराबर बँटवारा हो। विशेषतः बिजली एक राष्ट्रीय संसाधन है और उसका बँटवारा गाँव-शहर, अमीर-गरीब, किसान, कारीगर, उद्योगपति और कालोनियों में बराबर का होना चाहिये।
- 2) भूमि अधिग्रहण के तहत सरकार किसानों की जमीन ले रही है, इस पर रोक लगनी चाहिये। किसान अपनी जमीन खोकर कहीं का नहीं रहेगा।
- 3) बाजार की मार से किसान कंगाल हो रहा है, उसे अपने उत्पादन के वाजिब दाम भी नहीं मिलते।
- 4) किसानों के समक्ष और समस्त ग्रामीण समाज के सामने अपने वजूद और आत्मसम्मान का संकट है। शासन-प्रशासन की व्यवस्थाओं में शामिल लोग अपने बेइमानी के कृत्यों पर शर्मिन्दा होने के बजाय ग्रामीण समाज के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। किसानों का मजबूत संगठन ही इन्हें ठीक और सही रास्ते पर ला सकता है।

किसान रथ वाराणसी में चिरईगाँव ब्लाक के सलारपुर व हृदयपुर गाँवों में, चोलापुर के परानापट्टी गाँव, सेवपुरी ब्लाक के पूरे बरियार व गोरई गाँवों में, आराजी लाइन ब्लाक के बैरवन गाँव में और काशी विद्यापीठ ब्लाक के करसडा गाँव में से गुजरा। हर गाँव में किसान पंचायत हुई। प्रत्येक पंचायत में 30 से 80 की संख्या में किसान शामिल हुए। सलारपुर पंचायत की अध्यक्षता सरायमुहाना गाँव के पूर्व प्रधान वीरेन्द्र कुमार सिन्हा ने की और हृदयपुर में रामबली पटेल (मास्टर साहब), परानापट्टी में बलवंत कुमार मौर्य, पूरे बरियार में हरिनाथ पटेल, बैरवन में मोहन सराय की ग्राम प्रधान बीना देवी श्रीवास्तव और करसडा में हरिशंकर ने अध्यक्षता की।

चन्दौली में किसानों का धरना

चहनियाँ के भगत सिंह चौक पर 16-17 दिसम्बर, 2010 को किसानों ने दो दिन का धरना दिया। धान की फसल कटकर तैयार है और अभी तक धान के क्रय केन्द्र न खोले जाने से किसानों में भारी रोष है। अखिल भारतीय किसान महासभा ने बुलाये इस दो दिवसीय धरने में किसानों ने कहा कि एक तो धान के क्रय केन्द्र सरकार नहीं खुलवा सकी है और दूसरे धान का समर्थन मूल्य पिछले साल की तुलना में काफी कम है। ऊपर से बिजली बिल के बकाये के लिये जबर्दस्त वसूली का अभियान चलाया जा रहा है। आज खेती-किसानी पर लागत सामग्री के दाम आसमान छू रहे हैं और किसानों को आँने-पौने दामों पर बिचौलियों के हाथ अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। किसानों ने निम्नलिखित माँगें रखीं और एक मांगपत्र जिलाधिकारी व राज्यपाल को दिया गया।

1. धान क्रय केन्द्र शीघ्र खोले जायें।
2. धान का समर्थन मूल्य रु. 1,500/- प्रति क्विंटल दिया जाये।
3. किसानों के सभी कर्जे (बिजली, बैंक, खाद) माफ किये जायें।
4. राजकीय नलकूपों की मरम्मत कर 16 घण्टे आपूर्ति बहाल कर सिंचाई की गारण्टी दी जाये।
5. भूपौली पम्प हाउस का पक्का निर्माण अतिशीघ्र पूरा कर टेल तक पानी पहुँचाने की गारण्टी दी जाये।
6. किसानों को 5 हासपावर का कनेक्शन फ्री दिया जाये।
7. स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर फसलों को लाभकारी मूल्य दिया जाये।
8. किसानों की भूमि हड़पने वाला कानून (सेज) वापस लिया जाये। दो दिन के धरने को किसान सभा के चहनियाँ ब्लाक के अध्यक्ष रामधारी सिंह यादव एवं मंत्री दिनेश मौर्य ने सम्बोधित किया। भारतीय किसान यूनियन के वाराणसी मण्डल के अध्यक्ष जगदीश सिंह यादव व वाराणसी जिले के भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद भी धरने में शामिल हुए। भाकपा (माले) जिला सचिव शशिकान्त कुशवाहा, शशिकान्त सिंह, श्रवण कुमार मौर्य, मुंशी राय, हरिशंकर विश्वकर्मा, रमेश सोनकर, रामनगीना शर्मा, संतोष कुमार, आँकारनाथ पाण्डेय, दीनानाथ श्रीवास्तव, रामअवध यादव, सुल्तान अहमद आदि लोग भी शामिल रहे।

—श्रवण कुमार सिंह

सलारपुर पंचायत में दीनापुर सीवेज प्लांट और हृदयपुर में अब बनने जा रहे सथवाँ के सीवेज प्लांट से किसान, कारीगर और ग्रामीण समाज को हो रहे नुकसान व भूमि अधिग्रहण के मुद्दें छाये रहे। इसके लिये चार गाँवों क्रमशः हृदयपुर, सथवाँ, रजनहियाँ व साही की जमीनों को अधिग्रहित करने की योजना है। इससे किसानों के समक्ष रोटी-रोजगार की समस्या बड़े पैमाने पर उठेगी तथा शहर की गन्दगी गाँव वालों को ढोनी होगी। इनके अलावा बिजली, खाद, पानी, दाम के मुद्दों पर चर्चा हुई। सलारपुर की पंचायत में ग्रामप्रधान संजय कुमार मौर्य, बचाऊलाल मौर्य, दशमी प्रसाद मौर्य, बैजनाथ यादव, विश्वनाथ यादव, दिलीप कुमार, रामनारायण मौर्य, पंचम प्रसाद मौर्य, शिवमूरत राजभर ने अपने विचार रखे। हृदयपुर में चन्द्र कुमार सिंह (ग्राम प्रधान हृदयपुर), शमशेर सिंह, रामविलास, नन्दलाल, राजेन्द्र सिंह, रामहिन्द सिंह, राजेश पटेल (पूर्व प्रधान सथवाँ), जवाहर पटेल, जियालाल, धर्मेन्द्र कुमार पटेल, रमाशंकर सिंह, जयप्रकाश पटेल, रामनिहोर, बुझारत पटेल आदि किसानों की भागीदारी रही।

परानापट्टी की पंचायत में अवध नारायण यादव, जयशंकर यादव, संतू मौर्य, गौरी शंकर मौर्य, भोलानाथ मौर्य ने गाँव के किसानों की समस्या को सामने रखा।

पूरे बरियारपुर गाँव की पंचायत में बिजली, पानी के साथ-साथ किसान-विरोधी सरकारी नीतियों से सभी लोग घोर असन्तुष्ट रहे। गोरई गाँव की पंचायत में प्रमुख रूप से किसान विरोधी सरकारी नीतियों पर किसान भाई खुलकर बोले। संगठन पर जोर दिया गया। बी. टी. बीज के मनुष्य तथा पर्यावरण पर दुष्प्रभाव की चर्चा की गयी। प्रमुख रूप से शंकर पटेल, लालमन पटेल, छैल बिहारी, शिवमूरत, जैश्री प्रसाद, राजनाथ मौर्य, दयाशंकर पटेल, रामरथी पटेल, कैलाशनाथ पटेल, विजयशंकर पटेल, गगनचन्द मिश्र, प्रेमचन्द, रामपति, हरिश्चन्द्र, रामचरित्तर, रामनिरंजन, लालजी, राधेश्याम, गणेश प्रसाद, मंगला प्रसाद, रवीन्द्र मिश्र, गुलाब पटेल, विजशंकर पटेल, भोला, प्यारेलाल पटेल, जीता पटेल, बलविन्दर सिंह, अमरजीत शर्मा, रामचन्द्र पटेल इत्यादि लोग शामिल रहे। रामदुलार मौर्य, लक्ष्मीशंकर सिंह, अमरनाथ मौर्य, लल्लू प्रसाद मौर्य, रामजी मौर्य, शोभनाथ मौर्य, आशिफ, हेरेंद्र कुमार सिंह, वेदव्यास उपाध्याय, धनपत शर्मा, शिवशंकर सिंह इत्यादि लोगों के साथ वार्ता सम्पन्न हुई। गोरई में ही देश भर में भ्रमण कर रहे किसान स्वराज यात्रा दल के लोग भी शामिल हो गये। इस वार्ता में प्रदेश व मीरजापुर के पदाधिकारी भी शामिल हुए।

बैरवन गाँव की पंचायत में ट्रान्सपोर्ट नगर बनाने के लिये चार गाँवों की कुल 214 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का मुद्दा प्रमुख रहा। भारतीय किसान यूनियन के प्रान्तीय प्रमुख महासचिव राजेन्द्र प्रसाद शास्त्री ने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिये एक मजबूत किसान संगठन अति-आवश्यक है। मिर्जापुर मण्डल अध्यक्ष प्रह्लाद सिंह, मीरजापुर जिलाध्यक्ष अली जमीर खाँ, भदोही के जिलासचिव धर्मेन्द्र उपाध्याय के साथ-साथ लालबिहारी ग्रामप्रधान बैरवन, पंचम मौर्य, प्रेमचन्द गुप्ता, विजई, हेमन्त कुमार, छोटे लाल, सुगम लाल, नन्दलाल, विजय कुमार पटेल, रामदेव पटेल, कमला प्रसाद उपाध्याय, रामविलास, शिवराज तिवारी, सुखनन्दन पटेल, उदयभान पटेल,

राजेन्द्र प्रसाद पटेल, अमलेश पटेल (पूर्व ग्रामप्रधान, बैरवन), राधामण मिश्र (अध्यक्ष किसान संघर्ष समिति), कृष्ण प्रसाद (पूर्व ग्रामप्रधान बैरवन), पदमानन्द प्रसाद शर्मा इत्यादि लोग शामिल रहे।

करसडा गाँव की पंचायत में कूड़ा डम्पिंग ग्राउण्ड बनाने के लिये किसानों की भूमि का अधिग्रहण हो रहा है। इससे किसानों में बहुत रोष है। यहाँ भूमि अधिग्रहण, बिजली, पानी, नलकूप के मुद्दे प्रमुख रहे। ग्रामप्रधान शीतला प्रसाद मौर्य, वंश नारायण, संतराम पटेल, बैजनाथ, ओमदत्त शर्मा, सुनील कुमार, रमेश कुमार, बच्चा राम, विजय कुमार, राजकपूर मौर्य, रामलखन मौर्य, प्रेमचन्द मौर्य, जगदीश प्रसाद पटेल, अर्जुन प्रसाद, मो. सलाउद्दीन, अक्षैबर राम, श्याम नारायण यादव, अशोक कुमार शर्मा, नन्दू राम, नरसिंह, रमेश यादव प्रमुख रूप से सम्मिलित रहे।

करसडा के बाद किसान रथ गाजीपुर निकला। गाजीपुर जिले में रामपुर माझा, लक्ष्मणपुर, करण्डा और जंगीपुर गाँवों में किसान रथ पहुँचा और पंचायतें हुईं। रामपुर माझा में पंचायत की अध्यक्षता अक्षैबर ने और करण्डा में जय प्रकाश ने की। गाजीपुर की सभी पंचायतों और वार्ताओं में भारतीय किसान यूनियन के संगठन को मजबूत करने का मुद्दा ही प्रमुख रहा। रामपुर माझा की पंचायत में भा. कि. यू. के जिलाध्यक्ष गाजीपुर श्री दिनेश चन्द्र पाण्डेय, अमरदेव, महेन्द्रनाथ पाण्डेय, लल्लन तिवारी, चित्थरू यादव, माधव सिंह यादव, विवेक प्रजापति, विकास, रामकृत राय, जमुनाराम बैरागी (गायक), चन्द्रशेखर चौबे, कृपाशंकर सिंह, शिवकुमार पाण्डेय, अनिल कुमार, गिरेन्द्र यादव, गुल्लू राजभर, रमा कुशवाहा, पारसनाथ यादव, अमरनाथ दूबे, लल्ला तिवारी, दीपचन्द राम, सुधीर कुमार सिंह, सुनील कुमार दूबे, रणविजय सिंह, राजेश कुमार सिंह, जयप्रकाश राम, सुनील कुमार सिंह, पारस सिंह यादव, पारसनाथ यादव, बलिराम यादव, विन्ध्याचल यादव, चुन्नू राजभर, कमला बिन्द, भरत लाल बिन्द, लछिमन राम, रामचरन बिन्द, सूरज, बल्ली, प्रमोद गुप्ता, मेवालाल, शिवनाथ बिन्द, राजेन्द्र यादव, सियाराम बिन्द, संजय गुप्ता, राजकुमार बिन्द, जवाहर बिन्द, छोटेलाल, रामनाथ, धर्मेन्द्र, राम प्रसाद, बद्री गुप्ता, चुन्नू राजभर, फेंकू बिन्द, लालजी बिन्द, विवेक कुमार गुप्ता, चन्द्रमा बिन्द, रामप्यारे, वसन्तू बिन्द, जगदीश राम बिन्द, जंगबहादुर प्रजापति आदि लोगों ने विचार रखे।

गाजीपुर से जमानिया होते हुए किसान रथ चन्दौली के बरहनी ब्लाक के कुशी गाँव में पहुँचा। चारो तरफ धान की कटाई के चलते किसान व्यस्त थे। इसके बाद सकलडीहा के बरथरा गाँव में रथ का पड़ाव था। सरकार द्वारा अब तक धान क्रय केन्द्र न खोले जाने से किसानों में गहरा रोष था। और इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया।

रथ का समापन भूपौली पम्प केनाल पर एक सभा के साथ हुआ जिसमें वाराणसी मण्डल के जिलाध्यक्ष ने संगठन के विस्तार का संकल्प दोहराया।

— लक्ष्मण प्रसाद

यह कैसा मुआवजा ?

पोस्को नाम की दक्षिण कोरिया की इस्पात कम्पनी चर्चा में इसलिये रही है कि उड़ीसा में उसके लिये सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। स्थानीय जनता ने विशेष कर किसानों ने जमकर विरोध किया है। इस क्षेत्र में पान की खेती होती है। विरोध के संघर्षों में उड़ीसा सरकार ने पुलिस लगाकर इस विदेशी कम्पनी के लिये अपनी ही जनता को बेरहमी से मारा-पीटा और उजाड़ा है।

इस सिलसिले में प्रोफेसरों और इंजीनियरों के एक समूह ने अध्ययन करके यह पाया है कि परियोजना क्षेत्र के किसान एक एकड़ जमीन पर सालभर में लगभग डेढ़ लाख रुपया कमाते हैं। पोस्को उन्हें लगभग 45,000/- रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दे रही है। अनुमान यह है कि भूमि अधिग्रहण से पान की खेती करनेवाले किसान को 30 साल की अवधि में लगभग 50 लाख रुपये का कुल नुकसान होगा यानी किसानों की एक पीढ़ी की कमाई की तुलना में दिया जा रहा मुआवजा उसके एक फीसदी से भी कम है।

रत्नागिरी में परमाणु बिजलीघर

जमीन अधिग्रहण का विरोध

दिसम्बर, 2010 में लगभग छः सौ लोगों ने रत्नागिरी परमाणु बिजलीघर बनने के विरोध में गिरफ्तारियाँ दीं और अपने जीवन व सुरक्षित वातावरण में काम के अधिकार की माँग की। महाराष्ट्र सरकार ने इस परमाणु बिजलीघर को बनाने के लिये लगभग 2320 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है। भारत सरकार फिर एक बार विदेशी कम्पनियों के हित में अपने लोकविद्याधर समाज के हितों के खिलाफ जा रही है। इस परियोजना में फ्रांसीसी कम्पनी से परमाणु रियेक्टर खरीदे जायेंगे। लगभग दो हजार लोग अपनी जमीन खायेंगे और लगभग दस हजार लोगों के स्वास्थ्य पर इस परमाणु बिजलीघर का दुष्प्रभाव पड़ेगा।

जगह-जगह लोग इस बिजलीघर के बनने का विरोध कर रहे हैं।

करछना के किसानों का विरोध

बिजलीघर छीन रहा किसानों की जमीन

इलाहबाद में करछना थाना के तहत जे.पी. ग्रुप द्वारा एक पावर प्लांट के लिये 8 गाँवों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। ये 8 गाँव इसप्रकार हैं- कचरी, कचरा, देहली, भगेशर, भीटार, ढोलीपुर, गढवाकलाँ और देवरीकलाँ। सरकार ने 3 लाख रु. प्रति बीघा मुआवजा वितरित करने की बात रखी है जो किसानों को मंजूर नहीं है। प्रशासन ने किसानों की माँगों पर ध्यान नहीं दिया।

इन गाँवों के किसानों ने 'पुनर्वास किसान कल्याण सहायता समिति' बनाकर डा. राजबहादुर पटेल की अध्यक्षता में प्रशासन से उचित मुआवजा और प्रति परिवार को नौकरी की माँग के साथ संघर्ष छेड़ दिया है। सात बार अनशन पर बैठ प्रशासन से वार्ता चली परन्तु हर बार प्रशासन की वादाखिलाफी होती रही। इससे तंग आकर किसानों ने जून 2010 से अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू किया। 8 जनवरी 2011 को दीनानाथ क्रांतिकारी ने इसे आमरण अनशन में बदल दिया। प्रशासन अनशन को समाप्त करने के लिये दबाव डालता रहा।

दिनांक 21 जनवरी 2011 को तड़के प्रशासन पुलिस फोर्स के साथ अनशन स्थल पर पहुँचा और दीनानाथ क्रांतिकारी के साथ 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अनशन स्थल के सामानों को तोड़ दिया। लाउडस्पीकर उठा ले गये। गाँव वालों को इस घटना की जानकारी मिली तो वे हाथ में लाठी-डण्डा लिये प्रशासन पर टूट पड़े। कई घण्टों तक दोनों तरफ से ईट-पत्थर व लाठी-डण्डा से प्रहार होते रहे। पुलिस लगातार पीछे हटती रही। संघर्ष के दौरान गुलाब विश्वकर्मा नामक किसान की मृत्यु हो गई। क्रोधित किसानों ने रास्ता व रेल मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। 15 घण्टे रेलमार्ग बाधित रहा तो प्रशासन को झुकना पड़ा और किसानों की निम्नलिखित माँगों को मानना पड़ा—

1. मुआवजे की राशि 570 रु. प्रति वर्ग मीटर होगी।
2. पुनर्वास नीति 2010 लागू होगी। इसके अन्तर्गत 20,000रु. प्रति बीघा प्रति वर्ष तथा 6प्रतिशत की दर से बढ़ाते हुए 33 वर्ष तक भुगतान करेंगे।
3. जिसका घर चला गया है उसे आवास बना कर देंगे।
4. जो लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं उनकी जमीन छोड़ दी जायेगी।
5. प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जायेगी।
6. शिक्षा, स्वस्थ, सुरक्षा, बिजली, सड़क आदि नागरिक आवश्यकताओं की मुफ्त आपूर्ति की जायेगी।

— कृष्ण कुमार क्रांति

आमंत्रण

विद्या आश्रम राष्ट्रीय बैठक

27-28 फरवरी, 2011, हैदराबाद

लोकविद्या जन-आन्दोलन के विचार पर बातचीत और बहस के लिये 27-28 फरवरी 2011 को हैदराबाद में आयोजित बैठक में आप सादर आमंत्रित हैं। इस बैठक के लिये हम कई विचारवान मित्रों को बुला रहे हैं और आशा करते हैं कि यह बैठक कुछ नई दिशाओं का बोध करायेगी।

20-21 नवम्बर, 2010 को वाराणसी में 'लोकविद्या जन-आन्दोलन' पर पहली बैठक हुई। इस बैठक में सिंगरौली, इन्दौर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलूरु, वाराणसी और चन्दौली से भागीदार शामिल थे। दो दिन की इस बैठक में यह विचार हुआ कि लोकविद्या कार्य को अब एक अभियान से आगे बढ़कर एक ज्ञान आन्दोलन का रूप लेना चाहिये तथा नवम्बर, 2011 के आसपास लोकविद्या जन-आन्दोलन का एक सम्मेलन किया जाना चाहिये। मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के समूहों ने लोकविद्या जन-आन्दोलन बनाने की गतिविधियाँ तेज करने का वादा किया। नवम्बर, 2011 के सम्मेलन के आयोजन की तैयारी से जुड़े निर्णय भी लिये गये।

यह महसूस किया गया कि लोकविद्या जन-आन्दोलन के विचार पर एक व्यापक बहस की जरूरत है। लोकविद्या की समझ यह माँग करती है कि हम सामान्य जीवन के ज्ञान-गर्भित रूप को पहचानें और साइंस की वैचारिक चौखट के आगे बढ़ जायें। हैदराबाद के समागम में अच्छी संख्या में विचारवान व्यक्तियों को जुटाने का प्रयास है, जिससे विचारों और अवधारणाओं का वह जाल समृद्ध हो जिसमें लोकविद्या जन-आन्दोलन की अवधारणा वास करे। हैदराबाद का यह जमावड़ा लोकविद्या विचार की व्यावहारिक व सैद्धान्तिक गतिविधियों के चारों ओर समीक्षा का एक ऐसा ढाँचा बनाने का प्रयास है जो सतत सुधार और बदलाव के मौके तैयार करे। लोकविद्या जन-आन्दोलन का विचार बस बनना ही शुरू हुआ है और इसे बुनियादी और दोस्ताना योगदान की जरूरत है।

कृपया मन बना लें और हैदराबाद आने का समय निकालें। आपका जवाब जितना जल्दी मिलेगा उतना अच्छा होगा। रहने, खाने और बैठक के स्थान की खबर आपको दी जायेगी। आप निम्नलिखित में से किसी को भी सम्पर्क कर सकते हैं:—

सुनील सहस्रबुद्धे +919839275124 budhey@gmail.com

बी. कृष्णराजुलु +919866139091 kkbandi@gmail.com

नरेश शर्मा +919440409513 na.ku.sharma@gmail.com

अभिजित मित्रा +919866406028 abi_chem@iiit.ac.in

पृष्ठ 2 का शेष

बिजली, विस्थापन ...

(4) बौद्धिक परिवेशों में यह बात अक्सर सुनने को मिलती है कि बिजली का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत एक स्वयंसिद्धि है, इसे किसी तर्क की दरकार नहीं। यही बात 1960 के दशक से अनाज के बारे में भी कही जाती रही है। इस्पात और रासायनिक खाद के बारे में भी आजादी के समय से ही ऐसी बात कही जाती रही है। लेकिन अभी भी वास्तविकता यह है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आधे पेट रहते हैं, खाद महंगी भी है और समय पर मिलती भी नहीं है। सीमेंट, स्टील और ईटों के दाम हमेशा इतने ज्यादा रहते हैं कि तमाम लोग अपना घर कभी नहीं बना पाते। बिजली के साथ भी यही होना है। आजादी के बाद से बिजली का उत्पादन न जाने कितना गुना बढ़ गया। तार भी बिछ गये लेकिन बिजली नहीं मिलती। बिजली सबको तभी मिल सकती है, जब यह माँग उठे कि सबको बराबर बिजली मिलनी चाहिये। चाहे प्राइवेट कम्पनी पैदा करें, चाहे सरकार। बिजली एक राष्ट्रीय संसाधन है, उस पर सबका बराबर का हक है। देश भर में बनाये जा रहे नये बिजलीघरों की कीमत सबसे बड़े पैमाने पर इस देश के आदिवासी और किसान चुका रहे हैं। सिंगरौली की ये यात्रायें अगर कोई भ्रम हो तो उसे जड़ से दूर कर देती हैं। छत्तीसगढ़, विदर्भ, रत्नागिरी, नैल्लोर, झारखण्ड, उड़ीसा और अन्य कई जगहों के लोग चिल्ला-चिल्लाकर यह कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में लगने वाले बिजलीघर पूरे इलाके को बरबाद कर देंगे और सारी की सारी बिजली किसी और के ही इस्तेमाल के लिए पैदा की जा रही है। ये सब देखकर अंग्रेजी काल की नील की खेती याद आ जाती है। इस देश की आजादी का जन-संघर्ष चम्पारन के नील के किसानों से शुरू हुआ था। क्या अबकी बार शुरूआत बिजलीघरों के हमलों के इलाकों के आदिवासियों और किसानों से होनी है?

पृष्ठ 1 का शेष

बिनायक सेन ...

छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा कानून जिसके तहत बिनायक सेन को देशद्रोही कहा गया वह खुद ही एक जनविरोधी कानून है। जो सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध की आवाजों को खामोश करने वाला कानून है। बिनायक सेन लगातार सलवा जुद्ध से लेकर तमाम जनविरोधी प्रशासनिक हस्तक्षेप के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाते थे बल्कि वहाँ की आम जनता के स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े सवालों पर भी लड़ते थे। हम यहाँ इस बात को भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह न्यायालय ने डॉ. सेन को आजीवन कारावास दिया, ठीक इसी तरह भारतीय न्यायालय की इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 30 सितम्बर 2010 को कानून और संविधान को ताक पर रखकर आस्था और मिथकों के आधार पर अयोध्या का फैसला दिया। न्यायपालिका के चरित्र को इस बात से भी समझना चाहिए कि देश की राजधानी दिल्ली में हुए 'बाटला हाऊस फर्जी मुठभेड़ काण्ड' पर न्यायालय ने पुलिस का मनोबल गिरने की दुहाई देते हुए इस फर्जी मुठभेड़ काण्ड की जाँच की माँग को खारिज कर दिया था। भंवरी देवी से लेकर ऐसे तमाम फैसले बताते हैं कि हमारी न्यायपालिका का रूख दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिला विरोधी रहा है।

हम यहाँ इस बात को भी कहना चाहेंगे कि देश में हो रही आतंकी घटनाओं के लिए न्यायालय भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं, जिनसे न्याय न मिलने की हताशा से कुछ लोग आतंकवाद के प्रति अग्रसर हो रहे हैं। क्या न्यायपालिका बार-बार आतंकी संगठनों के इस बात की कि वे बाबरी विध्वंस और गुजरात दंगा (2002) या फिर अयोध्या फैसले से आहत होकर ऐसा कर रहे हैं के सवालों को हल करने की कोशिश की? क्योंकि यह सवाल उसके न्याय के समीकरण से जुड़ा है, जो फासीवादी ताकतों को मजबूत कर रहा है। वहीं

विद्या आश्रम पर चिन्तन

25 दिसम्बर को विद्या आश्रम के सारनाथ परिसर में यूरोप, विशेषकर जर्मनी की राजनीतिक व आन्दोलनात्मक परिस्थितियों पर चर्चा हुई। हाना वर्नर और वाल्टर वर्नर ने जर्मन परिस्थितियों के बारे में आश्रमवासियों को कुछ निश्चित बातें बताईं। हाना हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय में वरिष्ठ शोध छात्रा है। उनके शोध का विषय भारत में (जल के क्षेत्र में) विभिन्न स्तरों के ज्ञान के बीच सम्बन्ध और सम्प्रेषण से ताल्लुक रखता है। वाल्टर वर्नर (हाना के पिता) जर्मनी में मेनहाइम नाम के शहर में रहते हैं और सामाजिक नियोजक (सामुदायिक विकास अधिकारी) का काम करते रहे हैं। निम्नलिखित बातें हुई :-

- (1) वैश्वीकरण के चलते जर्मनी में नौजवानों की सामाजिक व रोजगारपरक सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। शिक्षा पहले निःशुल्क थी और अब फीस बढ़ती जा रही है। इसके चलते विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्र आन्दोलित हैं।
- (2) राजनीति 1970-80 के दशक तक मूल्यों और जन-कल्याण की बात करती थी, किन्तु लगभग 1995 से धीरे-धीरे करके अब तक यह स्थिति पूरी तरह बदल गई है। निजीकरण और उदारीकरण की नीतियाँ हावी हैं और राजनीतिक वर्ग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ बहुत नजदीक से मिलकर काम कर रहा है।
- (3) यूरोप की राजसत्ताएँ अमेरिका का साथ दे रही हैं लेकिन अधिकांश यूरोपीय जनता अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका के पक्ष को गलत मानती है। इराक और अफगानिस्तान पर आक्रमण के पक्ष में जनमत कभी नहीं रहा।
- (4) विद्या आश्रम के सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया कि वैश्वीकरण और सूचना के इस युग में यूरोप के देशों और भारत जैसे देशों की जनता की आपसी नजदीकी बढ़नी चाहिये। हाना की भी इस विचार से सहमति थी। चूँकि हाना हिन्दी बोलती हैं, उनकी बात सभी से हो सकी।

नक्सलवाद जो खुद को एक व्यवस्था परिवर्तन का आन्दोलन कहता है, को जनता लोकतंत्र में न्याय न मिलने की वजह से एक नई व्यवस्था के रूप में अपना रही है, जिसके लिए पूरी व्यवस्था में सबसे ज्यादा जिम्मेदार न्यायपालिका ही है, जो अपने नागरिकों को उनके जीवन से जुड़े मौलिक अधिकारों को भी नहीं दिलवा पा रही है।

ऐसे में हम इस बात को कहना चाहेंगे कि जो न्यायालय के कानून जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की अवमानना कर रहे हैं, उनकी अवमानना करने का पूरा अधिकार लोकतांत्रिक जनता को है। क्योंकि बिनायक सेन जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित लोकतंत्र के सच्चे सिपाही हैं। हम माँग करते हैं केन्द्र और राज्य सरकार बिनायक सेन के खिलाफ लगाए गए जनविरोधी राजनीति से प्रेरित आरोपों व जनविरोधी छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा कानून को तत्काल रद्द करे और विनायक सेन को रिहा करे।

जर्नलिस्ट यूनिनयन फॉर सिविल सोसाइटी JUCS द्वारा जारी

शाहनवाज आलम, राजीव यादव, विजय प्रताप, शाह आलम, ऋषि सिंह, अवनीश राय, राघवेंद्र प्रताप सिंह, लक्ष्मण प्रसाद, नवीन कुमार, प्रबुद्ध, रवि राव, अरूण उरांव, विवेक मिश्रा, देवाशीष प्रसून, दिलीप, पंकज उपाध्याय, विनय जायसवाल, अंशु माला सिंह, शालिनी बाजपेई, शिवदास, राकेश कुमार, तारिक शफीक, प्रत्यूष प्रशांत, मुसीहुद्दीन संजरी, संदीप दूबे, महेश यादव, हरेश मिश्रा।

कार्यालय- 631/13, शंकरपुरी कालोनी, कमता चिनहट, लखनऊ, ३०५०१०।

सम्पर्क -09452800752, 09415254919, 09015898445।

भूमि अधिग्रहण ही प्रमुख मुद्दा है

जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने अन्य कई संस्थाओं और संगठनों के साथ 'संघर्ष' नाम से एक सामूहिक मंच बनाया। 'संघर्ष' की ओर से दिल्ली में 22 से 26 नवम्बर 2010 के बीच भूमि अधिग्रहण के सवाल पर एक बहुत बड़ा धरना और प्रदर्शन आयोजित हुआ। बड़ी हिस्सेदारी आसाम से लगभग एक हजार लोगों ने की जो उत्तर-पूर्वी प्रान्तों में बाँधों के निर्माण के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। मध्य-भारत के आदिवासियों की भी बड़ी भागीदारी रही।

इस आंदोलन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही वर्तमान केन्द्र सरकार के सामने निम्नलिखित माँगें रखी गईं।

- 1) प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण (संशोधन) कानून तथा पुनर्वास कानून अपने वर्तमान रूपों में संसद में पारित न किये जायें। वर्तमान सरकार ने बिना किसी पूर्व सूचना या बहस के बड़े ही गुप-चुप तरीके से संसद के मानसून सत्र के अन्तिम दिन ऐसा करने की कोशिश की थी। हम ऐसी सभी अलोकतांत्रिक कार्यवाहियों का विरोध करते हैं।
- 2) (क) जमीन, पानी, जंगल, नदी और समुद्र के किनारे से समुद्री सम्पदा और खनिजों के लिये जबर्दस्ती अधिग्रहण और जनता का विस्थापन बन्द किया जाये। (ख) पहले से लोक-सहमति से उनके लिये स्वीकार करने योग्य वैकल्पिक व्यवस्थाएँ दिये बिना शहर या गाँव की बस्तियों से लोगों को उजाड़ना बन्द करें।
- 3) भूमि अधिग्रहण कानून रद्द किया जाये व योजनाबद्ध विकास पर एक समग्र राष्ट्रीय कानून बनाया जाये जिसमें प्रभावित लोगों के लिये रोजगार से जोड़कर न्यायसंगत पुनर्वास का प्रावधान हो तथा जो न्यूनतम विस्थापन, न्यायसंगत पुनर्वास और विकेन्द्रीकृत विकास का सिद्धान्त प्रतिपादित करता हो। इसमें संविधान की धारा-243, PESA 1996, जंगल अधिकार कानून, 2006 तथा ग्रामीण विकास की स्टैंडिंग कमेटी (2007-08) के प्रगतिशील तत्वों का इस्तेमाल किया जाये।
- 4) शहरी गरीबों, जो असुरक्षित मजदूर हैं, को रोजगार से जोड़कर भूमि और आवास सुनिश्चित किये जाये। शहरी जमीनों की अधिकतम सीमा कड़ाई से लागू की जाये और टेकेदार-नेता-अफसर गठबन्धन से होनेवाले विस्थापन तुरंत रोकेजायें। जरूरतमन्द लोगों के लिये राज्य और सहकारी संस्थाओं के मार्फत आत्मनिर्भर सस्ते मकानों को बढ़ावा दिया जाये।
- 5) (क) PESA कानून, 1996 को कड़ाई से लागू किया जाये इसमें आदिवासी समुदायों को सारी बातें बताकर पहले उनकी सहमति प्राप्त करने का सिद्धान्त लागू किया जाये। यह सभी ग्रामसभाओं में लागू किया जाये, चाहे परियोजना सार्वजनिक हो या निजी। इसमें वे सारी परियोजनाएँ आती हैं जो समुदायों के इर्द-गिर्द व उनके काम से सम्बन्धित संसाधनों का इस्तेमाल प्रस्तावित करती हैं। (ख) जंगल अधिकार कानून, 2006 को देश के सभी वन क्षेत्रों में लागू किया जाये। इन क्षेत्रों में जमीन के इस्तेमाल में किसी भी परिवर्तन या भूमि अधिग्रहण में लोगों को क्या मिलना चाहिये यह जंगल अधिकार कानून के अन्तर्गत तय हो।
- 6) आजादी से आज तक हुए सभी भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और पुनर्वास पर सरकार एक खुला ब्यौरा प्रकाशित करे। इस ब्यौरे में यह भी साफ किया जाये कि कितनी जमीन इस्तेमाल में लायी गई है और कितनी बिना इस्तेमाल के पड़ी हुई है। इसमें यह भी बताया जाय कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये ली गई कितनी जमीन ऐसे कारखानों और ढाँचागत परियोजनाओं के कब्जे में है जबकि वे खुद बीमार हैं या फिर वहाँ कोई काम नहीं होता।
- 7) सूचना के अधिकार की धारा-4 जो अभी तक लगभग अप्रयुक्त ही रही है, उसके अन्तर्गत हर परियोजना के दस्तावेज व उससे सम्बन्धित विस्तृत सामग्री सार्वजनिक की जाये और यह बताया जाय कि उसका प्राकृतिक संसाधनों पर तथा लोगों और उनके रोजगार पर क्या असर पड़ा है। खर्च व फायदे के अनुपात का लेखा-जोखा भी प्रकाशित किया जाये।
- 8) जिन समझौतों के ज्ञापन (MOU) पर भारत सरकार ने विभिन्न निजी व सार्वजनिक निगमों और कम्पनियों अथवा अन्य एजेंसियों के साथ दस्तखत किये हैं और जिनमें भूमि अधिग्रहण आवश्यक है उन्हें प्रकाशित किया जाये और विशेषकर प्रभावित लोगों के साथ जन-संवाद किया जाये।
- 9) सभी परियोजना-प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के न्यूनतम और न्यायसंगत पुनर्वास की राष्ट्रीय नीति बनायी जाये तथा इसमें योजनाबद्ध विकास कानून के अन्तर्गत समुदायों को उन्हें अन्तिम रूप देने का अधिकार प्राप्त हो।

बुक पोस्ट

लोकविद्या पंचायत, मासिक, विद्या आश्रम (सा 10/82 ए, अशोक मार्ग, सारनाथ, वाराणसी-221007) की ओर से डा.चित्रा सहस्रबुद्धे द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित।

website : vidyaashram.org Blog : lokavidyapanchayat.blogspot.com e-mail : vidyaashram@gmail.com Phone : 9452824380

प्रेस : सत्तनाम प्रिण्टर्स, एस-1/208 के-1, नई बस्ती, पाण्डेयपुर, सारनाथ रोड, वाराणसी-221002